इस हफ्ते

न्याय की जीत

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सभी आरोपियों को तत्काल आत्मसमर्पण करने का ऐतिहासिक फैसला सुना बिलकिस बानो के दर्द को कम करने का काम किया है

पृष्ठ 2

प्रदेश

भ्रष्टाचार की पंचायत

भ्रष्टाचार के भंवर जाल में फंसी पौड़ी जिला पंचायत में शीर्ष पद पर रहे जनप्रतिनिधियों ने अपने परिजनों को निर्माण कार्यों की रेवड़ियां बांटकर रक्त संबंधी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई तो दूसरी तरफ पंचायत में तैनात अधिकारी अपनी पत्नियों को ही पुरस्कृत करने में लगे हुए हैं

पृष्ठ 7

दि संडे पोस्ट

2001 से प्रकाशित

14 जनवरी से 20 जनवरी 2024, मूल्य : 3:00

हर रविवार को देहरादून से प्रकाशित

ना काहू से दोस्ती - ना काहू से बैर

वर्ष 15, अंक : 31, उत्तराखण्ड संस्करण (पृष्ठ 16)

वेबसाइट www.thesundaypost.in

प्रदेश में किसानों-पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिससे उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। लेकिन नैनीताल दुग्ध संघ सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर ग्रहण लगाता नजर आ रहा है। नैनीताल दुग्ध संघ में उत्पादकों के खून-पसीने की कमाई पर उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। इसे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच रिपोर्ट से समझा जा सकता है। जांच रिपोर्ट में उजागर हो चुके घपले-घोटालों पर दुग्ध एवं पशुपालन विभाग की सत्यनिष्ठा घेरे में है। पिछले साल ही शासन को भेज दी गई इस जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है

आवरण-कथा

दुग्धशाला का घोटाला

पृष्ठ 5, 6

अंततः न्याय की हुई जीत

वर्ष 2002 में गुजरात में हुए कौमी दंगों के दौरान 21 वर्षीय गर्भवती महिला बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दुर्दांत अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगस्त, 2022 में गुजरात सरकार ने तमाम नियम-कानून को धता बताते हुए इन सभी को रिहा कर दिया था। गत् सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार के इस फैसले की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए इन सभी आरोपियों को तत्काल आत्मसमर्पण करने का ऐतिहासिक फैसला सुना बिलकिस बानो के दर्द को कम करने का काम किया है

जीवन सिंह टनवाल

गत सप्ताह देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद बिलकिस बानो केस एक फिर सुर्खियों में है। न्यायालय ने इस मामले में गुजरात सरकार का वह फैसला पलट दिया जिसमें बिलकिस बानो का बलात्कार और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में समयपूर्व सभी आरोपियों को १५ अगस्त २०२२ को जेल में अच्छे आचरण का हवाला देकर रिहा कर दिया गया था। वो भी तब जब मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने २१ जनवरी २००८ को सभी ११ दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इसलिए रिहाई पर फैसला देने का अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार का है तो सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार ने कैसे कर दिया? न्यायालय ने कड़े शब्दों में सभी आरोपियों को दो हफ्तों के भीतर दोबारा आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि इस बारे में अगर कोई फैसला करना ही है तो वह महाराष्ट्र सरकार करे।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से एक ओर जहां बिलकिस बानों की बड़ी जीत और लोगों में न्याय के प्रति एक नई उम्मीद जगी है वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब महाराष्ट्र सरकार दोषियों की सजा माफ कर देगी? आरोपियों के पास सजा से बचने के क्या विकल्प हैं?

कानूनविदों का कहना है कि फिलहाल दोषियों के पास दो ही विकल्प हैं। पहला, वे न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। वो भी उन्हें एक महीने के भीतर ही करना होगा और जरूरी नहीं कि न्यायालय उनकी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करे। ये न्यायालय के विवेक पर है। दूसरा विकल्प वे महाराष्ट्र सरकार के पास रिहाई के लिए आवेदन करें। हालांकि इसके लिए उन्हें जेल वापस जाना होगा। ऐसे में उनके जल्द रिहाई के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन दोषियों को अब २००८ के महाराष्ट्र छूट नियमों के तहत छूट पाने के लिए आवेदन करने का पात्र बनने से पहले १३ साल और जेल की सजा काटनी पड़ेगी।

न्यायविद्ों के अनुसार मामला दो राज्यों के बीच का था इसलिए इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी अपील या फाइल तो जानी ही चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानता। वास्तविकता में, अपराध का स्थान और कारावास का स्थान ज्यादा महत्व नहीं रखता। कम से कम उस स्थान पर पदस्थ राज्य सरकार को भी वह कोई अधिकार तो नहीं ही मिलता। असल हकदार वह सरकार है जिसके राज्य में अपराधियों के खिलाफ केस चल रहा है या सुनवाई चल रही है और सजा का आदेश हुआ है। इसी सिद्धांत के तहत गुजरात सरकार को इनकी रिहाई का अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र सरकार को ही इस बारे में कोई फैसला लेना था जो कि नहीं लिया गया।

गौरतलब है कि यह मामला २००२ का है जब गुजरात में दंगे हुए थे। दंगों के दौरान राज्य के दाहोद जिले की लिमखेडा तहसील के रंधिकपुर गांव में दंगाइयों की भीड़ बिलकिस बानो के घर में घुस गई थी। बिलकिस तब जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ खेत में छिप गई थी। दंगाई वहां भी पहुंच गए और बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बिलकिस की मां और तीन अन्य महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म हुआ। परिवार के १७ में से सात सदस्यों की हत्या भी की गई। बिलकिस बानो उस समय २१ वर्ष की थीं और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। परिवार के मारे गए सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। बलात्कार के ११ दोषियों को गिरफ्तार करने में दो साल का समय लगा था। २००४ में दोषियों को गिरफ्तार किया गया और २००८ में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इन सभी की सजा को बरकरार रखते हुए पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेज दिया था। बाद में नासिक जेल भेजा गया। करीब नौ साल बाद इन सभी को गुजरात की गोधरा सब जेल भेज दिया गया था। जहां से १५ अगस्त २०२२ को गुजरात सरकार ने सरकार की माफी नीति और अच्छे आचरण का हवाला देकर इन्हें रिहा कर दिया।

इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिस पर अब यानी पिछले हफ्ते आठ जनवरी को उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार के दोषियों को सजा में छूट देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को बड़ी राहत दी है।

"आज मेरे लिए सही मायनों में नया साल है। मैं राहत के आंसू रो रही हूं। डेढ़ साल में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सीने पर रखा पहाड़ जैसा कोई पत्थर उठ गया हो और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूं। ये होता है न्याय।"

-बिलकिस बानो, गुजरात (2002) दंगे की पीड़िता

न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने जब १३ मई, २०२२ को गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। वह दरअसल, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया फैसला था। न्यायालय का कहना है कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी, वह भी छिपाई गई थी। इनके खिलाफ पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई लेकिन अच्छा आचरण बताकर गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया। जबकि यह अधिकार अगर किसी को था भी तो वह महाराष्ट्र सरकार को था। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि गुजरात सरकार ने इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग किया है। सरकार को फटकार लगाते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोई भी सरकार किसी गंभीर अपराध के दोषी को रिहा नहीं कर सकती है।

बिलकिस बानो को कैसे मिला न्याय?

बिलकिस बानो और उनके समर्थकों ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आरोप है कि जघन्य अपराध होने के बावजूद गुजरात पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, शुरुआत में एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। जैसे-तैसे एफआईआर लिखी गई तो जांच ठीक से नहीं की गई, मेडिकल जांच कई दिनों बाद की गई। यहां तक कि सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई। हालांकि बाद में अपराधियों को बचाने के आरोप में तीन पुलिसवालों को तीन साल की सजा भी मिली। लेकिन करीब एक साल बाद गुजरात पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी। इसके बाद बिलकिस बानो मदद के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंची। आयोग की मदद से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने गुजरात पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को शुरुआत से पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया।

सीबीआई ने नए सिरे से मामले की जांच करते हुए बिलकिस बानो के मारे गए परिवार के सदस्यों के शवों को कब्र से निकाला था। सीबीआई जांच में पाया गया कि मृतकों की पहचान छिपाने के लिए शवों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई और पोस्टमार्टम भी ठीक ढंग न किए जाने का आरोप लगा। २००४ में सीबीआई ने १८ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की और आरोपियों को गिरफ्तार किया तो बिलकिस बानो और उनके परिवार को परेशान किया जाने लगा। यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। इस कारण दो साल के भीतर उन्हें करीब २० बार अपना रहने का ठिकाना बदलना पड़ा। बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केस किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई तो अगस्त २००४ में मामला मुंबई विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान बिलकिस बानो ने खुद एक-एक आरोपी की पहचान की। उन्होंने बताया कि इनमें ज्यादातर लोग उनके जान-पहचान वाले ही हैं। आखिरकार २१ जनवरी २००८ को सीबीआई की विशेष अदालत ने गर्भवती महिला से रेप और हत्या के आरोप में सभी ११ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सात लोगों को सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया। इनमें पांच पुलिसवाले और दो डॉक्टर भी शामिल थे जिन पर आरोपियों को बचाने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। जबकि एक दोषी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। मगर ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। दोषियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दिसंबर २०१६ में मुंबई उच्च न्यायालय ने ११ अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी और सजा को बरकरार रखा। बाद में २०१९ में उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि बिलकिस बानो को ५० लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी दी जाए।

गुजरात सरकार ने दोषियों को क्यों किया रिहा?

सभी आरोपी साल २०२२ में १५ साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इनमें से एक ने गुजरात उच्च न्यायालय में सजा में माफी के लिए याचिका दायर की। न्यायालय ने तब कहा था कि इस मामले में माफी का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है क्योंकि केस वहीं चला और सजा भी वहीं से हुई है। इसके बाद सजायाफ्ता ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मई २०२२ में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में विचार करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने आईएएस अधिकारी सुजल कुमार मायात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसके बाद सभी दोषियों को रिहा करने का फैसला किया गया और १५ अगस्त २०२२ को सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया।

14 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक के लिए प्रकाशित

संपादक : अपूर्व* कार्यकारी संपादक (विचार) : आदेश भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सुनील भारद्वाज, रोविंग एसोसिएट एडिटर : आकाश नागर

उप संपादक : जीवन सिंह टनवाल, जनार्दन कुमार सिंह, मो. रुस्तम, नीतू टीटाण उत्तराखण्ड प्रभारी : दिव्य सिंह रावत, विशेष संवाददाता : कृष्ण कुमार, मुख्य संवाददाता

कुमाऊं : संजय स्वार, संवाददाता : दिनेश पंत, गोपाल बोरा, गढ़वाल संवाददाता : जसपाल नेगी, अली खान, प्रबंधक : अमित कुमार : 9582371321 **प्रधान कार्यालय :** बी-107, सेक्टर-63, नोएडा, फोन : 0120-4330755, फैक्स : 0120-4352397, **उत्तराखण्ड कार्यालय :** रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून, मो. : 09412901406 **कुमाऊं कार्यालय :** प्रथम तल, नंदा इंक्लेव, नरसिंह तल्ला, कमलवागांजा रोड हल्द्वानी-263139, नैनीताल।

* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी। स्वत्वाधिकारी इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसायटी के लिए प्रकाशक, मुद्रक नारायण सिंह राणा द्वारा बी.एफ.एल. इन्फोटेक लि., सी-9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित एवं 3, रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून से प्रकाशित।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 20 जनवरी, 2024

असमंजसता की जकड़ में अखिलेश

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

भाजपा की धर्म आधारित राजनीति से खुलकर मोर्चा लेने वाली समाजवादी पार्टी आज लेकिन भारी पशोपेश में है। वह अब कांग्रेस की तर्ज पर 'नरम हिंदुत्व' का मार्ग पकड़ती नजर आने लगी है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्यौता मिलने पर खुद के अथवा समाजवादी पार्टी के किसी प्रतिनिधि के शामिल होने अथवा न होने को लेकर अखिलेश यादव की असमंजसता तो कम से कम यही इशारा कर रही है। मुलायम सिंह यादव वामपंथियों को अपना स्वभाविक मित्र मानते थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वामपंथी दल दो टूक अपनी बात कह चुके हैं। इन दलों का मानना है कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम न होकर भाजपा का राजनीतिक अनुष्ठान है इसलिए वे इसमें शामिल नहीं होंगे। अखिलेश लेकिन ऐसा कह पाने का साहस नहीं दिखा पार रहे हैं। लोहिया बीच के रास्ते अवधारणा के सख्त खिलाफ थे लेकिन उनकी विचारधारा के संवाहक अखिलेश आज इसी बीच के रास्ते को तलाशते नजर आ रहे हैं

आजाद भारत का पहला आम चुनाव अक्टूबर १९५१ से फरवरी १९५२ के मध्य हुआ था। ४८९ सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस को ३६४ सीटों पर जीत मिली। समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी मात्र १२ सीटें जीत पाई थी। मई १९५२ में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. लोहिया ने कहा था- 'सोशलिस्ट पार्टी को अस्थाई धक्का लगा है। अगर वह हताशा में हाथ-पैर मारेगी और कृत्रिम रूप से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगी तो दूसरी कई पार्टियों की तरह ही बनेगी जिनके पास दिशा-निर्देशक नहीं हैं। पार्टी की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। क्या सोशलिस्ट पार्टी इसका सामना कर सकती है? इसके लिए उसे समय की प्रतीक्षा और तैयारी करनी होगी, अपने आधार को मजबूत बनाना होगा तथा अपने उत्साह को प्रशिक्षित करना होगा...वर्तमान मानव सभ्यता टूट रही है और उसे केवल समाजवाद ही नया युग दे सकता है। जीत या तो बर्बरता की होगी या समाजवाद की। बीच का रास्ता नहीं है। समाजवाद को और भी पराजयों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नई सभ्यता के निर्माण के लिए निकलते हैं उन्हें पराजयों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, संघर्ष करने और पराजित होने तथा फिर संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा।' डॉ. लोहिया की विचारधारा से पैदा हुई समाजवादी पार्टी के वर्तमान कर्णधार अखिलेश यादव इन दिनों गहरी असमंजसता से जूझते प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की धर्म आधारित राजनीति के चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। 'धरती पुत्र' कहलाए गए मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल (१९९२) से ही धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपना मूल आधार और दर्शन बताती रही है। १९९२ में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अगले वर्ष १९९३ में हुए मध्यावधि चुनाव मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी संग गठबंधन कर लड़ा था। यह वह दौर था जब देश, विशेषकर उत्तरी भारत में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति अपने चरम पर जा पहुंची थी। धर्म और राजनीति के धालमेल की ताकत मुलायम सिंह समझते थे। उन्होंने इसकी काट के लिए ही बसपा संग गठजोड़ किया था। उन दिनों एक नारा खासा चर्चित हुआ था- 'मिले मुलायम-कांशी राम, हवा में उड़ गए जयश्रीराम'। इस नारे का इतना भारी असर रहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा पाने में विफल रही थी और सपा-बसपा ने राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने में सफलता पाई थी। भाजपा की धर्म आधारित राजनीति से खुलकर मोर्चा लेने वाली समाजवादी पार्टी आज लेकिन भारी पशोपेश में है। वह अब कांग्रेस की तर्ज पर 'नरम हिंदुत्व' का मार्ग पकड़ती नजर आने लगी है। २२ जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्यौता मिलने पर खुद के अथवा समाजवादी पार्टी के किसी प्रतिनिधि के शामिल होने अथवा न होने को लेकर अखिलेश यादव की असमंजसता तो कम से कम यही इशारा कर रही है। मुलायम सिंह यादव वामपंथियों को अपना स्वभाविक मित्र मानते थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वामपंथी दल दो टूक अपनी बात कह चुके हैं। इन दलों का मानना है कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम न होकर भाजपा का राजनीतिक अनुष्ठान है इसलिए वे इसमें शामिल नहीं होंगे। अखिलेश लेकिन ऐसा कह पाने का साहस नहीं दिखा पार रहे हैं। लोहिया बीच के रास्ते अवधारणा के सख्त खिलाफ थे लेकिन उनकी विचारधारा के संवाहक अखिलेश आज इसी बीच के रास्ते को तलाशते नजर आ रहे हैं। इसे उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या के बयानों के बाद अखिलेश की असहजता से समझा जा सकता है। मौर्या ने पहले तो रामचरित्र मानस को लेकर भड़काऊ बयान दिया फिर गत् वर्ष दीपावली के समय लक्ष्मी को लेकर भी अनावश्यक बयानबाजी कर डाली। निश्चित ही राजनीतिक दृष्टि से स्वामी प्रसाद के बयान समाजवादी पार्टी के हित अनुरुप नहीं हैं। जब चौतरफा धर्म की आंधी बहुसंख्यक आबादी को अपनी चपेट में ले चुकी हो, उनके धर्म पर प्रहार करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न लेकिन यह कि अखिलेश अपने साथी के बयानों को लेकर डिफेंसिव मोड़ में क्यों जाते नजर आ रहे हैं? प्रश्न यह भी कि क्योंकर वह भाजपा की धर्म आधारित राजनीति का खुलकर विरोध करने के बजाय नम्र हिंदुत्व की राह पर चलते नजर आ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश अपने कोर वोट बैंक पिछड़ा वर्ग को साधे रखने में विफल रहे हैं। भाजपा के आक्रमक हिंदुत्व ने मंडल की राजनीति के सबसे अभेद दुर्ग में दरार पैदा करने का काम कर दिखाया है। कभी स्वर्ण जातियों के प्रति विद्वेष की भावना रखने वाले इस वर्ग भीतर भी अब खुद के 'हिंदू' होने की भावना जागृत हो चली है जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को बीते दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव के दौरान उठाना पड़ा। यह एक बड़ा कारण है जिसके चलते अखिलेश यादव सपा की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के मार्ग को छोड़ नरम हिंदुत्व की पगडंडी पर चलने का प्रयास कर रही है। मेरी समझ से अखिलेश की यह असमंजसता समाजवादी विचारधारा के लिए और स्वयं समाजवादी पार्टी के लिए सही नहीं है। जो भूल कांग्रेस ने १९८९ के चुनावों में की थी और उसके बाद लगातार करती रही है, वही भूल अखिलेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल के दौरान पहले तो मुस्लिम तृष्टिकरण के लिए उच्चतम् न्यायालय द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण शाहबानो फैसला राजीव गांधी ने संसद में नया कानून बना पलट दिया था। इसके बाद हिंदुओं को साधने की नीतय से १९८६ में बाबरी मस्जिद परिसर में दशकों से बंद पड़े राम मंदिर के ताले खुलवा नरम हिंदुत्व की राह पकड़ने की ऐतिहासिक भूल की जिसका नतीजा ८० के पूर्वाध में शुरु हुए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के बतौर सामने आया। इस आंदोलन ने भाजपा को मजबूत जमीन देने का काम किया था और उत्तर प्रदेश और उसके बाद धीरे-धीरे हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में कांग्रेस की जमीन लगातार छिनती चली गई। यही हाल वर्तमान में समाजवादी पार्टी का है। वह भाजपा की धर्म आधारित राजनीति की काट के लिए खुद को कभी राम भक्त साबित करने, कभी कृष्ण मंदिर की बात करने, यहां तक की हिंदुत्व की राह पर चल परशुराम के नाम को जपने का काम कर कांग्रेस द्वारा अतीत में की गई गलती को दोहरा अपनी विचारधारा के साथ समझौता करती नजर आती है।

डॉ. लोहिया कहा करते थे कि कमजोर हड्डी से राजनीति नहीं की जा सकती। नरम हिंदुत्व की राह पकड़ समाजवादी पार्टी का केवल और केवल गर्त में जाना तय है। आज जरूरत ऐसे योद्धा की है जो धर्म और राजनीति के दलदल में पूरी तरह धस चुके समाज का ध्यान असल मुद्दों की तरफ वापस ले जाने की रणनीति बनाए। धर्म आधारित राजनीति का असर भले ही २०२४ के लोकसभा चुनाव तक बना रहे, यह तय है कि आज नहीं तो कल जनता बुनियादी सवालों का जवाब अपने रहनुमाओं से मांगेगी जरूर। तब शायद सामाजिक समरसता की बात करने वालों को, साम्प्रदायिक सद्भाव पर भरोसा करने वालों को और समाजवाद के मूल्यों को ढोने वालों को सुना-समझा जाएगा। अखिलेश यादव को उस समय का इंतजार करना चाहिए और कृत्रिम रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। समाजवादी पार्टी को पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध कार्यक्रमों के साथ जनता के पास जाना होगा। किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ उसे आबादी के अन्य हिस्सों के प्रति, जैसे तेजी से उभर रहा मध्यम वर्ग, युवा वर्ग इत्यादि को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए विचारों को आत्मसात करना होगा। महिलाओं के प्रति अपनी रणनीति को ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत समाजवादियों को है। लोहिया कहते थे 'महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बिना समाजवादी सरकार, दुल्हन बगैर शादी जेसी है। न केवल महिलाएं नस्ल के स्वास्थ और नई पीढ़ियों के विकास के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं बल्कि वे शांतिपूर्ण सत्याग्रह की मुख्य शक्ति भी होती हैं।' समाजवादी सोच के लिए यह बेहद कठिन समय है। पूंजीवाद की चमक लेकिन स्थाई नहीं रहेगी। तब तक अपने विचारों और अपने मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रख यदि अखिलेश अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे तो ठीक वरना उनका हाल भी कांग्रेस और बसपा सरीखा होते देर नहीं लगेगी।

सरगोशियां

आम चुनाव लड़ेंगे जेपी नड्डा

आम चुनाव २०२४ को लेकर देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से चुनावी तैयारियों में जुटी है। यहां तक कि राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि वे अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नड्डा का राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि नड्डा अब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी सूत्रों की मानें तो राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनेगा। वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की अपनी पसंदीदा सीट बताने के लिए तीन विकल्प दिए गए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। गौरतलब है कि पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को दो से अधिक कार्यकाल नहीं देने की नीति बनाई है। इसके तहत केंद्र सरकार में मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर नड्डा लोकसभा चुनाव में उतरे तो इस नीति के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा।

राजनीतिक दल बनाएंगे पीके

बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का समय शेष है लेकिन राज्य की राजनीति अभी से गरमाने लगी है। चुनावी रणनीतिकार एवं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने २०२५ का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव में वे सभी २४३ सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीके जल्द ही अपने जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में गठित करेंगे। प्रशांत किशोर अभी पूरे बिहार में जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यह यात्रा साल २०२२ अक्टूबर में शुरू हुई थी। पीके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। अब पीके ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। पीके अभी गांव-कस्बों में जाकर कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी पार्टियों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वे लोगों को जाति से ऊपर उठकर वोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पीके अगर पार्टी बनाकर बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही चुनौती मिलेगी। हालांकि, बिहार चुनाव में वक्त बचा है ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इससे पहले जनसुराज के कांग्रेस से गठजोड़ के कयास लगाए जा रहे थे। पीके ने पिछले दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को नकार दिया। पीके ने स्पष्ट किया कि जनसुराज की विचारधारा आजादी से पहले वाली कांग्रेस के समान है। अभी की कांग्रेस पार्टी एक परिवार में सिमट कर रह गई है।

फिर होगा एनडीए-अकाली का गठजोड़

आगामी आम चुनाव से पहले भाजपा पंजाब में खुद को मजबूत करने के लिए शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ गठजोड़ कर सकती है। अटकलें हैं कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का श्री अकाल तख्त साहिब परिसर में बेअदबी मामलों में 'पंथ' से माफी मांगने से पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। चर्चा है कि सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाला शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल (बादल) में विलय का ऐलान कर सकता है। अगर इन दोनों दलों का विलय हुआ तो फिर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने की पूरी संभावना बन जाएगी क्योंकि सुखदेव सिंह ढींडसा का इस समय भाजपा के साथ गठबंधन है। विलय होने के बाद वही शिरोमणी अकाली दल और भाजपा के गठबंधन के सूत्रधार बनेंगे। इन अटकलों को बल तब मिला जब पिछले दिनों दिल्ली के वरिष्ठ अकाली नेता मनजीत सिंह जीके ने अपनी 'जागो पार्टी' का अकाली दल (बादल) में विलय करने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन सुखदेव सिंह ढींडसा ने अकाली दल बादल के बारे में पार्टी वर्करों की राय जानने के लिए ५ सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। इस कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। अब पूरे पंजाब में वर्करों से अकाली दल (बादल) के साथ जाने संबंधी उनकी सलाह मांगी जा रही है।

झारखंड की सीएम बन सकती हैं कल्पना

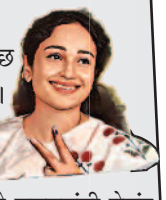

झारखंड में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होना है लेकिन पिछले कुछ समय से प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कल्पना सोरेन झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भूमि घोटाला मामले में ईडी अदालत से वारंट की मांग कर सकती है और हेमंत सोरेन को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हालांकि यह भी चर्चा है कि सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि बीते दिनों रांची में हुई विधायकों की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।

जांच से क्यों बच रहे हैं केजरीवाल?

फोटो : मिड डे पोर्टल से

दि संडे पोस्ट डेस्क

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी प्रवर्तन निदेशालय सहित कई एजेंसियों ने खूब पूछताछ की थी। दोनों नेताओं को एजेंसियों ने बार-बार नोटिस देकर बुलाया और हर बार उन्होंने एजेंसियों के कार्यालय पर जाकर अपने जवाब दिए। कांग्रेस के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने से कभी इनकार नहीं किया लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं और इन दोनों के बीच आंख मिचौली का खेल पिछले लगभग तीन महीनों से जारी है। यहां तक कि तीन बार प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुका है। तीनों ही बार अलग-अलग कारण बताकर वे बचते रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें पूरा विश्वास है कि शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो वे जांच से आखिर कब तक बच सकते हैं?

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल से जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी नहीं किया है। जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर प्रताड़ित किए जाने के आधार पर वे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच से बचने की अपील भी कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका क्या कारण हो सकता है?

जानकारों का कहना है कि मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से यही निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि केजरीवाल को नियमों में बदलाव कर हुए शराब घोटाले में अनियमितता की पूरी जानकारी है। राजस्व विभाग के बड़े अफसर रहे केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह और जिन तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार दुबे के अनुसार यह सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में कोई भी फैसला अरविंद केजरीवाल के बिना नहीं लिया जाता। ऐसे में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास अदालत में केजरीवाल को इस पूरे घोटाले के अंतिम लाभार्थी के रूप में सिद्ध करना कठिन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रकरण में आम आदमी पार्टी ने जांच से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया। संभवतः यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जांच-पूछताछ से बचने की उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए वे अब तक अदालत के पास भी नहीं गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस पूरे प्रकरण में दो राजनीतिक पक्ष हैं। यदि इस प्रकरण में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो भाजपा को इसका लाभ हो सकता है। यदि केजरीवाल दिल्ली में कमजोर होते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से केजरीवाल ने गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत की है और लोकसभा चुनाव में इसका सीधा नुकसान भाजपा को होने की आशंका है। हालांकि इस मामले का एक पहलू यह भी है कि यदि अरविंद केजरीवाल इस मामले को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में हाईलाइट करने में सफल हो जाते हैं, तो वे एक बार फिर हीरो बनकर उभर सकते हैं। इसका लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ-साथ आगामी चुनावों में भी मिल सकता है। केजरीवाल जिस तरह एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, माना जा रहा है कि उनकी रणनीति यही है कि इस मामले का राजनीतिक दोहन किया जाए। लेकिन इस मामले की गंभीरता के कारण ऐसा होना खासा कठिन है।

आसान नहीं शर्मिला की राह

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद शर्मिला ने कहा, 'आज में वाईएस तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईएस तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।' सियासी जानकारों का मानना है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस शर्मिला के जरिए अपने लिए राजनीतिक जमीन जरूर तैयार करेगी लेकिन शर्मिला को अपने लिए जगह तलाश पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि वाईएसआर की विरासत पर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अच्छी तरह से काबिज हो चुके हैं। शर्मिला ने कुछ साल पहले अपनी अलग पार्टी बनाकर तेलंगाना में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अपने भाई की तर्ज पर उन्होंने तेलंगाना में पदयात्राएं निकाली, लेकिन इसके बावजूद हाल में हुए तेलंगाना चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे। यह माना गया कि उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ऐसा किया। तभी से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। दक्षिण के पांच बड़े राज्यों में से शेष चार में कांग्रेस की स्थिति ठीक-ठाक है। कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार है। केरल में वह अभी विपक्ष में है। तमिलनाडु में गठबंधन में अपनी उपस्थिति बनाकर रखी हुई है। लेकिन आंध्र प्रदेश में उसका न कोई विधायक है और न कोई सांसद। पिछले विधानसभा चुनाव में महज एक फीसदी वोट मिला था। वाईएसआर अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जग़नमोहन रेड्डी आंध्र में उनकी विरासत पर काबिज होने पर सफल रहे मगर तमाम प्रयासों के बावजूद शर्मिला तेलंगाना में ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई। ऐसे में कांग्रेस उन्हें आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चाएं भी हैं, तो इससे कांग्रेस को तत्काल कितना फायदा होगा, कहना मुश्किल है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वाईआरएस कांग्रेस शर्मीला के कांग्रेस में जाने को ज्यादा तरजीह नहीं दे रही है।

कमिश्नर दीपक रावत की जांच रिपोर्ट

दूध का दूध, पानी का पानी

लालकुआं (नैनीताल) स्थित आंचल डेयरी का मुख्यालय

आकाश नागर
akash@thesundaypostèin

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व नैनीताल जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्या ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में २६ मई २०२३ को एक शिकायती पत्र डेयरी विकास विभाग को भेजा था। जिसमें संघ द्वारा खरीद कराने, निविदाओं के नाम पर और दक्षिण भारत के भ्रमण प्रकरण में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से कराने के निर्देश दिए। १५ जुलाई २०२३ को दीपक रावत द्वारा इस प्रकरण पर जांच शुरू की गई। जिसमें रावत ने सामान्य प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं से अभिलेख और आख्याएं प्राप्त की। रावत ने समस्त अभिलेखों और साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के बाद १६ अक्टूबर २०२३ को जांच पूरी कर शासन को सौंप दी। १० पृष्ठ की इस जांच में सिलसिलेवार शिकायतकर्ता के आरोपों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद दुग्ध संघ के द्वारा दी गई बिंदुवार सफाई को सामने रखा गया है। इसके उपरांत दीपक रावत द्वारा अपनी जांच आख्या दी गई है। जिसमें उनके द्वारा एक-एक बिंदु का गहरे से अवलोकन करते हुए स्पष्ट रिपोर्ट दी है। कुल १२ बिंदुओं पर की गई जांच में दुग्ध संघ में हुई वित्तीय अनियमितता और घपले-घोटालों को उजागर किया गया है। एक आरोप को छोड़कर अन्य सभी को उन्होंने सही माना है। लेकिन सवाल यह है कि जो जांच रिपोर्ट तीन माह पूर्व उजागर हो चुकी है उस जांच रिपोर्ट को सामने लाकर आरोपियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

निविदा प्रकाशन का विवरण नहीं

शिकायत में कहा गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या १०(१) ख के तहत पच्चीस लाख से अधिक एवं ५ करोड़ से कम के कार्य किए जाने से पहले दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उनकी निविदाएं प्रकाशित की जानी अनिवार्य है। जिसका व्यापक प्रसार हो। लेकिन नैनीताल दुग्ध संघ के द्वारा नियमावली का उल्लंघन कर बहुत कम प्रसार वाले एक ही न्यूज पेपर 'द पायनियर' में छोटी सी निविदा प्रकाशित की गई। इस पर नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि किसी भी एक आईटम का मूल्य २५ लाख से अधिक का नहीं है। जबकि जांच आख्या देते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्पष्ट लिखा है कि कुल २९ लाख ४२ हजार का खर्चा किया गया। जबकि नियमावली के अनुसार अधिक प्रसार वाले दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की बजाय एक ही समाचार पत्र 'द पायनियर' में विज्ञापन का प्रकाशन तथा उसमें भी दर एवं सामग्री का विवरण नहीं किए जाने से उक्त शिकायत की पुष्टि की जाती है।

निविदा सामग्री का नहीं किया गया प्रकाशन

शिकायत यह की गई कि नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा समाचार पत्र में जो निविदा प्रकाशित की गई उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि विज्ञापन किन-किन सामग्रियों को खरीदने के लिए जारी किया गया। ऐसा जान-बूझकर इसलिए किया गया ताकि जिनको दुग्ध संघ कार्य देना चाहता है वही लोग निविदा में भाग ले सकें। इस पर दुग्ध संघ लालकुआं ने जवाब दिया उसके अनुसार पारदर्शिता

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के बारे में प्रचलित है कि जिस काम को भी वह करते हैं पारदर्शिता के साथ करते हैं। ऐसी ही पारदर्शिता उनकी दुग्ध संघ नैनीताल की जांच रिपोर्ट में भी झलकती है। भाजपा के एक नेता द्वारा नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं पर लगाए गए वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों की जांच रिपोर्ट को दीपक रावत ने पूरी निष्पक्षता के साथ उजागर किया है। रावत की 10 पेज की जांच रिपोर्ट में दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली पूरी तरह संदेह के घेरे में है। कई माह से यह जांच राज्य सरकार के पास लटकी पड़ी है। अभी तक इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न होने के चलते विभागीय मंत्री की कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह् लगने लगा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा लेकिन मामले से खुद को पूरी तरह अनभिज्ञ होने की बात कह रहे हैं। उनके अनुसार यह जांच सीधे मुख्यमंत्री स्तर से कराई गई है और जांच रिपोर्ट भी सीएम के पास ही लंबित है

बात अपनी-अपनी

मैं इस मामले पर कई माह पूर्व जांच रिपोर्ट शासन को भेज चुका हूं। जांच रिपोर्ट में हमने संबंधित दुग्ध संघ के सभी लोगों से उनके विचार जाने, पूरा तथ्य लिए और उनकी समीक्षा करने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की थी।

दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर

मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा।

निर्मल नारायण सिंह, महाप्रबंधक, दुग्ध संघ नैनीताल

दुग्ध संघ में कोई अनियमितता नहीं हुई है। आप षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर हमारी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। आप हमारे अधिकारियों को धमकाते हैं। आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे।

मुकेश बोरा, निवर्तमान अध्यक्ष, दुग्ध संघ नैनीताल एवं प्रशासक डेयरी फेडरेशन

उत्तराखण्ड डेयरी विकास अनुभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सब कुछ जानते हुए भी राज्य के सीएम, विभागीय मंत्री चुप हैं। कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। एडीएम निर्णायक न्यायाधीश देहराइन के न्यायालय में मेलामाइन सिद्ध हो गया। सेंट्रल लैब रुद्रपुर में दूध में एल्कोहल, अधोमानक सिद्ध हो गया है। इस बसके बावजूद कोई कार्रवाई न होना भ्रष्टाचारियों संग सरकार की मिलीभगत सिद्ध करता है। माननीय उच्च न्यायालय में सभी साक्ष्य अभिलेख रिकॉर्ड के जनता का पक्ष, दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का पक्ष मजबूती के साथ रखूंगा। भ्रष्टाचार का जड़ का खुलासा होगा, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल।

भुवन चन्द्र पोखरियाल, याचिकाकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

दागदार हुआ आंचल/भाग-2

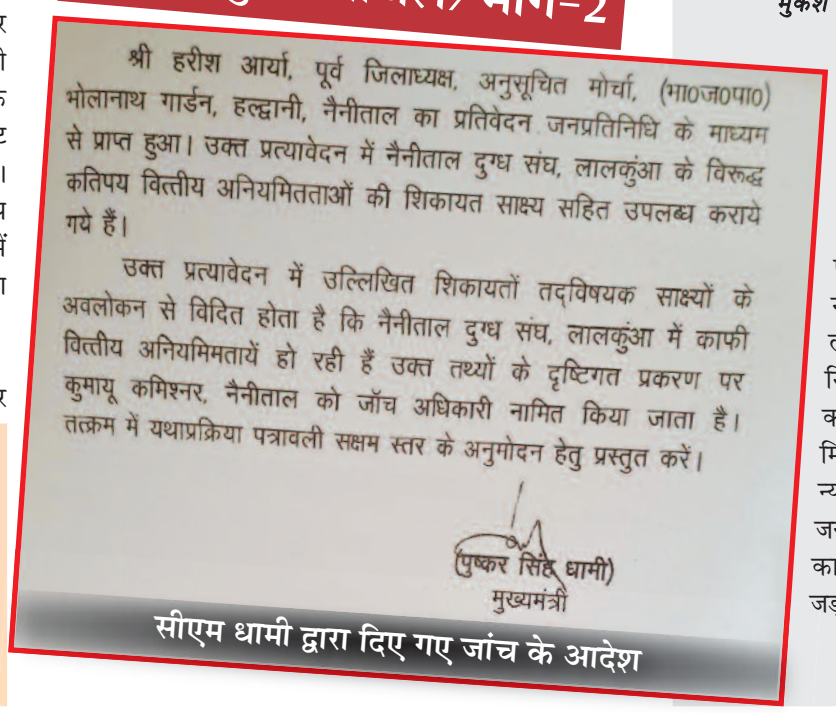

श्री हरीश आर्या, पूर्व जिलाध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा, (भा0ज0पा0) भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी, नैनीताल का प्रतिवेदन जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त हुआ। उक्त प्रत्यावेदन में नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुंआ के विरूद्ध कतिपय वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत साक्ष्य सहित उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त प्रत्यावेदन में उल्लिखित शिकायतों तद्विषयक साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुंआ में काफी वित्तीय अनियमितायें हो रही हैं उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण पर कुमायू कमिश्नर, नैनीताल को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है। तत्क्रम में यथाप्रक्रिया पत्रावली सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(पुष्कर सिंह धामी)
मुख्यमंत्री

सीएम धामी द्वारा दिए गए जांच के आदेश

"इस प्रकरण पर संबंधित विभाग के मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए एक्शन लेना होगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के दावे पर अडिग है। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देना सरकार की प्राथमिकताओं में है।"

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

से कार्यवाही कर निविदा प्रक्रिया को पूरा किया गया जिसके लिए भिन्न-भिन्न कमेटियां गठित की गई जिसमें संघ के सभी प्रबंध कमेटी सदस्य एवं कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस पर जांचकर्ता दीपक रावत ने कहा कि संघ द्वारा जो निविदा प्रकाशित की गई उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि विज्ञापन किन-किन सामग्री के लिए जारी किया गया। अधिप्राप्ति नियमावली अनुसार किन सामग्री के लिए निविदा जारी की गई है उसका विवरण दिया जाना चाहिए था। ऐसा न करने से आरोप सिद्ध होता है।

एक घंटे में ही खोल दी निविदा

शिकायत अनुसार समाचार पत्र में ३ दिसंबर २०२२ को निविदा प्रकाशित की गई। इसमें ६ जनवरी २०२२ को एक बजे तक जमा करने और इसी दिन महज एक घंटे बाद २ बजे निविदा को खोल दिया गया। इसके तहत २७ लाख से अधिक की सामग्री खरीदी गई। उन सामग्रियों के खरीदने के लिए महज तीन दिन का समय दिया जाना नियम विरुद्ध है एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के खिलाफ है। इस पर लालकुआं दुग्ध संघ ने स्पष्टीकरण दिया कि नियमानुसार निविदा आमंत्रित की गई तथा निविदाकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत ही पारदर्शी तरीके से समस्त प्रक्रिया पूरी की गई तथा सामग्री खरीदी गई थी। जबकि जांच अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मात्र तीन दिन में ही निविदा को खोला जाना उचित करार नहीं दिया है। वह कहते हैं कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली २०१७ के ९(४) में निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना की तिथि से कम से कम दो सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए था जो नियमों के तहत नहीं किया गया।

डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति

1. श्री भुवन पोखरिया, शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र के माध्यम से नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं में प्रबंध कमेटी सदस्यों के शैक्षिक भ्रमण, निविदा संबंधी कार्यवाही आदि से संबंधित शिकायत सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया।
2. सचिव, डेरी विकास द्वारा उक्त शिकायत पर जांच करने हेतु आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल को सूचित किया गया।
3. उक्त कम में आयुक्त, कुमाऊं मंडल, नैनीताल द्वारा अपेक्षित प्रकरण पर जांच कर जांच आख्या, सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया।
4. साथ ही, शिकायतकर्ता भुवन पोखरिया द्वारा नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं के प्रकरण पर कार्यवाही करने हेतु मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में पूर्व से योजित जनहित याचिका में सम्मिलित किया गया है।
5. इस प्रकार, चूंकि नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं के शिकायती प्रकरण से संबंधित मामला मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है तथा मा. न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय स्थापित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप संबंधित प्रकरण पर विभागीय स्तर से निर्णायक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तथापि इस संबंध में निदेशक, डेरी विकास द्वारा संदर्भित प्रकरण पर सामान्य प्रबंधक, नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं से जवाब-तलब किया गया है एवं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

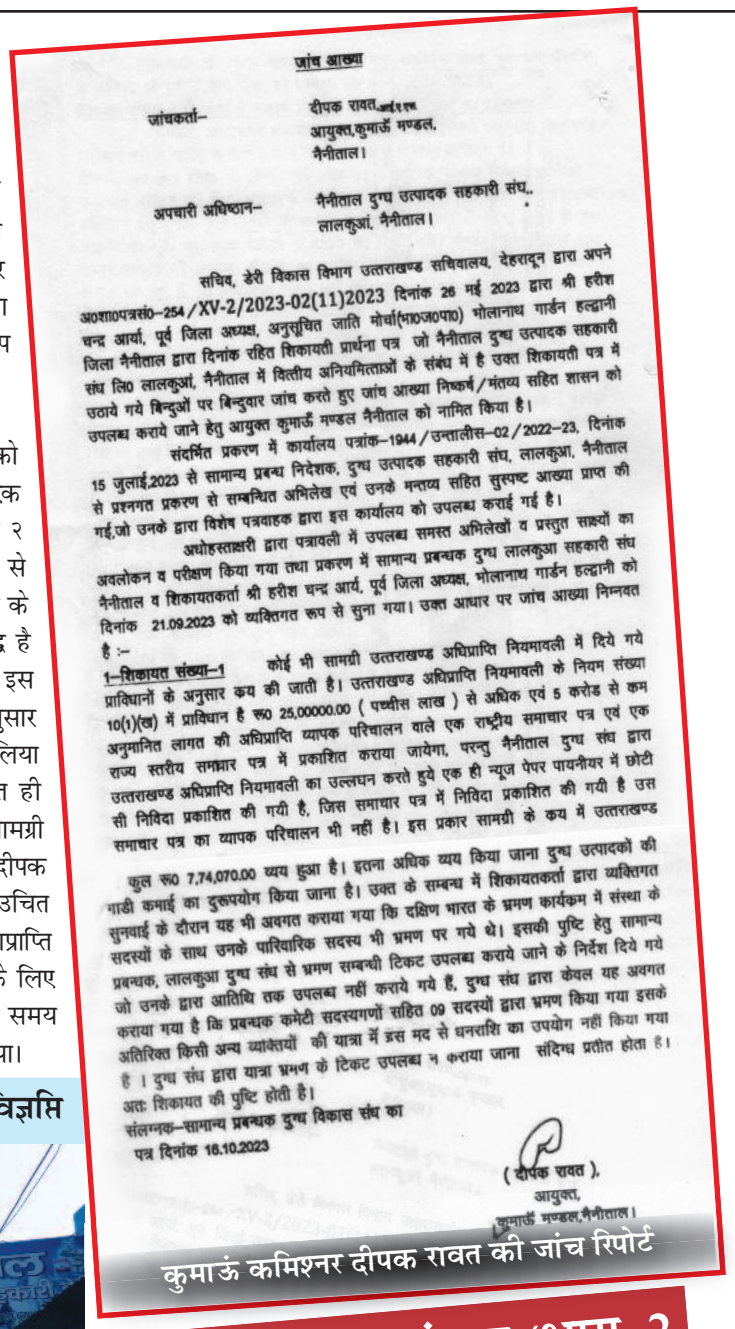

जांच आख्या

जांचकर्ता- दीपक रावत,आ.प्र.स.
आयुक्त,कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।

अपचारी अधिष्ठान- नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ,.
लालकुआं, नैनीताल।

सचिव, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून द्वारा अपने अ0शा0पत्रसं0-254/XV-2/2023-02(11)2023 दिनांक 26 मई 2023 द्वारा श्री हरीश चन्द्र आर्या, पूर्व जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा(भा0ज0पा0) भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा दिनांक रहित शिकायती प्रार्थना पत्र जो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 लालकुआं, नैनीताल में वित्तीय अनियमित्ताओं के संबंध में है उक्त शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार जांच करते हुए जांच आख्या निष्कर्ष/मंतव्य सहित शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को नामित किया है।

संदर्भित प्रकरण में कार्यालय पत्रांक-1944/उन्तालीस-02/2022-23, दिनांक 15 जुलाई,2023 से सामान्य प्रबन्ध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, लालकुआं, नैनीताल से प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं उनके मन्तव्य सहित सुस्पष्ट आख्या प्राप्त की गई,जो उनके द्वारा विशेष पत्रवाहक द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों व प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन व परीक्षण किया गया तथा प्रकरण में सामान्य प्रबन्धक दुग्ध लालकुआ सहकारी संघ नैनीताल व शिकायतकर्ता श्री हरीश चन्द्र आर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष, भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी को दिनांक 21.09.2023 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। उक्त आधार पर जांच आख्या निम्नवत है :-

1-शिकायत संख्या-1 कोई भी सामग्री उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कय की जाती है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या 10(1)(ख) में प्राविधान है रू0 25,00000.00 (पच्चीस लाख) से अधिक एवं 5 करोड से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जायेगा, परन्तु नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघन करते हुये एक ही न्यूज पेपर पायनीयर में छोटी सी निविदा प्रकाशित की गयी है, जिस समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित की गयी है उस समाचार पत्र का व्यापक परिचालन भी नहीं है। इस प्रकार सामग्री के कय में उत्तराखण्ड

कुल रू0 7,74,070.00 व्यय हुआ है। इतना अधिक व्यय किया जाना दुग्ध उत्पादकों की गाढी कमाई का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि दक्षिण भारत के भ्रमण कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों के साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी भ्रमण पर गये थे। इसकी पुष्टि हेतु सामान्य प्रबन्धक, लालकुआ दुग्ध संघ से भ्रमण सम्बन्धी टिकट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये जो उनके द्वारा आतिथि तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, दुग्ध संघ द्वारा केवल यह अवगत कराया गया है कि प्रबन्धक कमेटी सदस्यगणों सहित 09 सदस्यों द्वारा भ्रमण किया गया इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों की यात्रा में इस मद से धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है । दुग्ध संघ द्वारा यात्रा भ्रमण के टिकट उपलब्ध न कराया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः शिकायत की पुष्टि होती है।

संलग्नक-सामान्य प्रबन्धक दुग्ध विकास संघ का
पत्र दिनांक 16.10.2023

(दीपक रावत),
आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,नैनीताल।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच रिपोर्ट

दागदार हुआ आंचल/भाग-2

यूसीडीएफ की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं हुई निविदा

शिकायत की गई है कि सामग्रियों के खरीदने से पहले यूसीडीएफ की वेबसाइट में भी निविदा अपलोड की जाती है ताकि व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि जो लोग नैनीताल दुग्ध संघ नहीं आ सकते हैं वे वेबसाइट में देखकर भी निविदा में भाग ले सकें। लेकिन जान-बूझकर २७ लाख रुपए से अधिक की धन राशि की सामग्री खरीदते समय वेबसाइट में निविदा अपलोड नहीं की गई यह इसलिए किया गया क्योंकि जिनको संघ का प्रबंधन कार्य देना चाहता है वे ही लोग निविदा में भाग ले सकें। इसके जवाब में संघ ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र 'द पायनियर' में विज्ञप्ति कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि संस्था द्वारा अति अल्पकालीन ऑफ लाइन निविदा आमंत्रित की गई थी जिसके फलस्वरूप उसे वेबसाइट पर दिखाई जानी चाहिए और उसका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वेबसाइट से भी संबंध होना चाहिए था लेकिन संघ द्वारा नियमावली के १०(१२) का अनुपाल नहीं किया जाना शिकायत की पुष्टि करता है।

जीएसटी नंबर एक, फर्म दो

शिकायत में वर्णित है कि कंबल खरीद की निविदा में तीन फर्मों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें एक फर्म देवगुरु तथा दूसरी फर्म देवभूमि है। लेकिन आश्चर्यजनक यह कि दोनों ही फर्मों का जीएसटी नंबर 05ECmpm7492GIZ3 एक ही था। दो फर्मों का एक जीएसटी नंबर नहीं हो सकता। ऐसा होना अपराध की श्रेणी में आता है, इस चलते टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। सोची-समझी रणनीति के तहत नैनीताल दुग्ध संघ को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। इस शिकायत के बाद लालकुआं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए जवाब में इसे माइनर त्रुटि बताया गया है। जबकि जांच अधिकारी दीपक रावत द्वारा अपनी जांच में स्पष्ट कहा गया कि दो फर्मों का एक ही जीएसटी नंबर नहीं हो सकता है। उक्त दोनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदा फर्मों का अवलोकन किया गया जिसमें दोनों फर्मों द्वारा अपने निविदा पत्र में जीएसटी नंबर एक ही लिखा जाना इत्फाक नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त शिकायत की पुष्टि फर्मों की निविदा प्रतियों से होती है।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने से मुखर हुई कांग्रेस

उत्तराखण्ड कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं, नैनीताल में हुए बड़े घोटाले पर प्रेस वार्ता की। दसौनी ने कहा कि २६ मई २०२३ को हरिश्चंद्र आर्य पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा ने दुग्ध संघ के विभागीय सचिव श्री पुरुषोत्तम को लालकुआं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में चल रहे बड़े वित्तीय घोटाले की शिकायत करते हुए पत्र लिखा। पत्र का संज्ञान लेते हुए सचिव ने कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत को मामले की जांच सौंपी। दसौनी ने कहा कि १५ जुलाई २०२३ को दुग्ध संघ ने कमिश्नर कुमाऊं को सभी आरोपों के जवाब देते हुए पत्र लिखा, २१ सितंबर २०२३ को कमिश्नर कुमाऊं ने हरिश्चंद्र आर्य को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ के लिए बुलाया। तत्पश्चात १६ अक्टूबर को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभाग को हरिश्चंद्र आर्य द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि करते हुए विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता की बात स्वीकारते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी। दसौनी ने कहा कि विचारणीय विषय और घोर निराशाजनक बात यह है कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उपरोक्त मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।

दसोनी ने कहा कि इस पूरे घोटाले को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं के प्रधान प्रबंधक निर्भय नारायण और प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मुकेश बोरा की सांठ-गांठ और मिलीभगत का प्रतिफल बताया जा रहा है। परंतु उपरोक्त दोनों ही व्यक्तियों पर अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई।

कच्चे बिल से लाखों का भुगतान

शिकायत की गई कि नैनीताल दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा साढ़े तीन लाख का भुगतान छह कमरे और किचन को बैठक बनान की एवज में किया गया लेकिन यह भुगतान पक्के बिल की बजाय कच्चे बिल पर किया गया जो कि आयकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस बाबत लालकुआं दुग्ध संघ द्वारा दी गई सफाई में कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने इस बिंदु में यह अवगत ही नहीं कराया गया है कि भोजन व्यवस्था में क्या अनियमितता की गई है। साथ ही संघ ने कहा कि नियमानुसार उनके बिलों का भुगतान किया गया है। इसकी जांच उपरांत कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि जहां तक कच्चे बिल से भुगतान करने का प्रश्न है यह संस्था की लापरवाही को दर्शाता है। मंडल आयुक्त ने इसे दुग्ध संघ की लापरवाही माना है। इसी प्रकार शिकायतकर्ता की कच्चे बिल की ४ लाख ४७ हजार की दूसरी और साढ़े चार लाख की तीसरी शिकायत जो मैसर्स पावर्ती टेंट एंड कैटर्स कालाढूंगी (हल्द्वानी) द्वारा भोजन व्यवस्था के संबंध में की गई है उसे भी रावत द्वारा संस्था की लापरवाही मानते हुए आंशिक अनियमितता करार दिया है।

बिना टिकट हुई यात्रा, हुए पौने आठ लाख खर्च

शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि नैनीताल दुग्ध संघ की प्रबंधन कमेटी द्वारा ६ जनवरी २०२३ से १६ जनवरी २०२३ तक दक्षिण भारत का भ्रमण किया जाना दर्शाया गया है। इस भ्रमण पर ७ लाख ७४ हजार का खर्चा दिखाया गया है। इतना अधिक खर्च किया जाना दुग्ध उत्पादकों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जाना है। इस पर दुग्ध संघ का कहना है कि संस्था की प्रबंधक कमेटी को देश के विभिन्न संस्थानों जहां दुग्ध सहकारिता की संभावनाएं हैं एवं उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है ऐसे स्थानों का भ्रमण कराया जाता है। साथ ही संघ द्वारा दावा किया गया कि निरंतर ऐसी प्रक्रिया के कारण ही नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है तथा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस पर जांच अधिकारी दीपक रावत द्वारा इसकी पुष्टि हेतु दुग्ध संघ से भ्रमण संबंधी टिकट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। दुग्ध संघ द्वारा ९ यात्रियों के यात्रा भ्रमण के टिकट उपलब्ध न कराया जाना रावत द्वारा संदिग्ध माना गया है।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 20 जनवरी, 2024

पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल

पौड़ी जिला पंचायत अपनी भ्रष्ट कार्यशैली के चलते अक्सर चर्चाओं में रहा है। पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले कोई और नहीं, बल्कि उसके मातहत अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि ही हैं। पंचायत के शीर्ष पद पर रहे जन प्रतिनिधियों ने अपने परिजनों को निर्माण कार्यों की रेवड़ियां बांटकर रक्त संबंधी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत में तैनात अधिकारी अपनी पत्नियों को ही पुरस्कृत करने में लगे रहे। जिला पंचायत के कार्यों की जमकर बंदरबांट की गई। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत और आरटीआई कार्यकर्ता करण रावत इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे, मामले में जांच की मांग की। दो-दो अधिकारियों ने जांच कराई जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। दोनों ही जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कराने की शासन से सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पंचायत राज विभाग आंख मूंद कर सोया हुआ है

जसपाल नेगी

३ अगस्त २०२१

गढ़वाल के कमिश्नर रविनाथ रमन द्वारा कराई गई पौड़ी जिला पंचायत की जांच। तीन सदस्यीय जांच के आदेशों बाद सामने आया परिणाम जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले की हुई पुष्टि। साथ ही जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी संतोष खेतवाल और उनके सहायक अधिकारियों को दिया गया दोषी करार। तत्कालीन कमिश्नर रविनाथ रमन द्वारा जांच रिपोर्ट को १६ अगस्त २०२१ को पंचायती राज सचिव के पास कार्रवाई के लिए भेजा गया।

२८ अप्रैल २०२३

पौड़ी के जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला पंचायत पौड़ी की जांच मुख्य विकास अधिकारी को दिए आदेश।

२७ सितंबर २०२३

पौड़ी के जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को कार्यवाही हेतु भेजा। पंचायतीराज सचिव के पास जिसमें जिला पंचायत पौड़ी में तैनात कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन सिंह रावत और आलोक रावत की पत्नियों के बुटोला इंटरप्राइजेज के नाम पर किए गए भ्रष्ट्राचार की पुष्टि करते हुए कार्यवाही करने और वसूली किए जाने की की गई सिफारिश।

२७ दिसंबर २०२३

आरटीआई कार्यकर्ता करण रावत की शिकायत पर उत्तराखण्ड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तराम ने लोकसभा निर्वाचन २०२४ के दृष्टिगत जिला पंचायत पौड़ी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात सुदर्शन सिंह रावत से प्रभारी अभियंता का प्रभार हटाने तथा नियमित अभियंता की तैनाती किए जाने के पंचायती विभाग को दिए आदेश।

चौंकाने वाली बात यह है कि कमिश्नर पौड़ी गढ़वाल, जिलाधिकारी और उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग को दोहरी जांच रिपोर्ट देने के साथ ही जिला पंचायत पौड़ी के आरोपी कनिष्ठ अभियंता को पदभार से हटाने के आदेश देने के बावजूद भी आरोपियों का बाल बांका नहीं हो पाया है। यहां तक कि ढ़ाई साल बीत जाने के बाद भी करोड़ों रूपए के इस भ्रष्टाचार मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हैं।

पौड़ी जिला पंचायत में घोटाले की शुरुआत २०१६ में उस समय हुई जब मैसर्स बुटोला इंटरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन पौड़ी में करवाया गया। यह फर्म जिला पंचायत पौड़ी की उपाध्यक्ष रचना बुटोला के पति प्रवीण बुटोला के नाम से है। मैसर्स बुटोला इंटरप्राइजेज में कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन सिंह रावत की पत्नी अपर्णा रावत और कनिष्ठ अभियंता आलोक रावत की पत्नी अंजू रावत २३-२३ प्रतिशत की भागीदार हैं। इसके बाद जिला पंचायत पौड़ी में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। अधिकारियों ने अपनी पत्नियों के नाम इस फर्म को एक ही वर्ष में लगभग ५ करोड़ के कार्य दे दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि विकास कार्यों की निविदा सर्वाधिक प्रकाशित अखबारों के बजाए बेहद सीमित प्रसार वाले समाचार पत्र 'ई-पेपर, उत्तर भारत' तथा 'राष्ट्रीय सहारा' के लखनऊ एडिशन में प्रकाशित कराए गए।

बताया जाता है कि ३० लाख से ज्यादा रुपए कोटद्वार के भवन में लगाए गए। एक ही निर्माण कार्य को तीन-तीन बार दिखाया गया। यही नहीं बल्कि जिला पंचायत पौड़ी में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता आलोक रावत की पत्नी को मैसर्स बुटोला इंटरप्राइजेज में पार्टनर बनाने के बाद अपने सगे भाई अखिलेश रावत जो कि पौड़ी जनपद के स्कूल में संविदाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, को नियम विरुद्ध ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करा कर जिला पंचायत में फर्जी तरीके से ७० लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान करवा दिया गया। याद रहे कि किसी भी निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारी का रक्त संबंधी उसी विभाग में ठेकेदारी नहीं कर सकता है। अभी कुछ समय पहले ही जल निगम में कार्यरत अभियंता का निलंबन भी ऐसे ही एक प्रकरण को लेकर हुआ था। जिसमें उक्त अभियंता ने अपने पुत्र को जल निगम में ठेका दिलवाया था। जिला पंचायत पौड़ी में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन सिंह रावत (अतिरिक्त प्रभार अभियंता) एवं आलोक रावत के द्वारा १० लाख के संपर्क मार्गों में मैकेनिकल मींस (मशीनों के द्वारा सड़क निर्माण) की बजाय मैन्युअल मींस (हाथों से सड़क निर्माण) के आधार पर भुगतान किया गया। सभी १० लाख के संपर्क मार्गों में अधिकतर ऐसे ही भुगतान किया गया। इससे जिला पंचायत पौड़ी को राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिला पंचायत पौड़ी को प्रत्येक १० लाख के सड़क संपर्क मार्ग में करीब चार लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

जिला पंचायत पौड़ी में एक ही योजना का नाम बदलकर एक ही कार्य को तीन-तीन बार दिखाया गया। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के समीप जिला पंचायत पौड़ी अपने कर्मचारियों के टाइप ३ आवासों का निर्माण करवा रही है जिसमें बाद में नाम परिवर्तित करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की ओर प्रथम भाग का नाम दिया गया। उक्त भवन के निर्माण के लिए १०-१० लाख के ८ टेंडर लगाए गए। इसमें घोटाला हुआ।

कलजीखाल ब्लॉक का सकनी बड़ी नामक गांव घोटाले की वजह से चर्चाओं में रहा। यहां मातृशक्ति ने बिना किसी सरकारी मदद से श्रमदान करके सकनी बड़ी-सकनी छोटी-मेथाना तक सड़क मार्ग निर्माण कराया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इसी संपर्क मार्ग के नाम पर ६० लाख से ज्यादा की निधि का गबन जिला पंचायत के द्वारा किया गया। इस सड़क मार्ग को जिला पंचायत निधि का दिखाया गया, जबकि वह महिलाओं द्वारा श्रमदान से किया गया था। सोलर लाइट के टेंडर में भी करोड़ों का घोटाला हुआ। सोलर लाइट के टेंडर में बिना किसी की संस्तुति के सोलर लाइट फर्म से सीधे लेने की बजाय ठेकेदारों से लाइट लगवाई गई। जिन लाइट की कीमत ११००० के करीब थी वही लाइट १९६०० से ज्यादा में लगाई गई। एक ही हेड राइटिंग में सारे टेंडर भरें गए। सभी टेंडर ५० से ७० प्रतिशत तक डाउन किए गए। इसके अलावा १०-१० लाख के तीन टेंडर ब्लॉक खिरसू के चंडी गांव में एक गूल निर्माण मरम्मत के लिए लगाए गए। जबकि यह कार्य सिंचाई विभाग का है जिला पंचायत गूल का काम ही नहीं करती। इसके बावजूद टेंडर लगाया गया। हद तो तब हो गई जब पता चला कि बिना काम किए ही अगस्त २०१९ में इसका पूर्ण भुगतान भी हो गया।

जिला पंचायत द्वारा १० लाख के संपर्क मार्ग बिना टीएस एवं सर्वे के माप पुस्तिका में ही बना दिए गए। कई संपर्क मार्ग एक ही गांव में टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए ३-३ लाख की मास्टर रोल में दिखाकर पैसा हजम कर लिया गया जबकि कई योजनाओं को दो-दो ब्लॉक में दिखाकर पैसा हड़पा गया। यही नहीं बल्कि एक ही कार्य का नाम बदल कर दो बार भुगतान किए गए। शासनादेश के अनुसार २५ लाख से ज्यादा के टेंडरों के लिए ई-टेंडर की बाध्यता है। लेकिन जिला पंचायत पौड़ी में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि यहां शासनादेश को भी नहीं माना जाता। गरुड़ चट्टी का व्यवस्थान शुल्क करियर है जिसकी निविदा न्यूनतम १ करोड़ २० लाख से शुरू होनी थी और इसका ई-टेंडर भी होना चाहिए था। लेकिन इसका ई-टेंडर नहीं कराया गया बल्कि टेंडर लखनऊ से छपने वाले राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित कराकर अपने ठेकेदारों के नाम पर ३ साल के लिए इसका आवंटन करा लिया गया। यह आवंटन भी फर्जी हैसियत के आधार पर बनाया गया। किसी भी निर्माण कार्य के लिए किए गए कार्य की लागत माप पुस्तिका (एमबी) में हमेशा रहता है। मगर पौड़ी जिला पंचायत हमेशा की तरह इसका अपवाद रही। जो १० लाख के संपर्क मार्ग बने हैं उसमें सबका भुगतान ९४०३०० आता है। सबका भुगतान एक ही रेट पर किया गया है जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जुलाई २०१९ में जो टेंडर लगाए गए उनका भुगतान बिना कोई काम किए हुआ है। जिला पंचायत पौड़ी के पास इतना समय ही नहीं है कि माप पुस्तिका बना पाते। अगर माप पुस्तिका बनाई जाती तो संभव है कि जिला पंचायत का भ्रष्टाचार उजागर हो जाता।

बात अपनी-अपनी

जिला पंचायत पौड़ी में सेवारत दो कनिष्ठ अभियंताओं को जांच में कर्मचारी सेवा नियमावली के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। सीडीओ की जांच रिपोर्ट को कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को भेज दिया गया है।

डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, पौड़ी

ये मामला मेरे सज्ञान में नहीं है और न ही मुझे इसकी जानकारी है।

शान्ति देवी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, पौड़ी

इस मामले में मुझे अभी कोई आदेश नहीं मिला और ये मामला निदेशालय स्तर से ही उनको अभियंता का चार्ज दिया गया है। अब जो भी कार्यावाही होनी है वह भी निदेशालय से ही होनी है।

सुनील कुमार, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पौड़ी

जिला पंचायत पौड़ी के तदर्थ कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन सिंह रावत पर आयुक्त गढ़वाल की जांच में १६१ करोड़ तथा जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा रक्त संबंधी शासनादेश का उल्लघंन कर १५० करोड़ रुपयों को अपनी धर्मपत्नी अपर्णा रावत की फर्म को अनुचित लाभ देने की पुष्टि, मानवाधिकार आयोग द्वारा जनवरी २०२४ में की गई है। शासन को इस संबंध में कार्यवाही करने, विजिलेंस विभाग में आय से अधिक संपत्ति की जांच सुदर्शन सिंह रावत के विरुद्ध चल रही है। उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई गतिमान है। इसके बावजूद शासन इन पर कार्रवाई करने से बच रहा है, यह समझ से परे है।

करण रावत, सामाजिक कार्यकर्ता

मेरे द्वारा ६ मार्च को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था और १३ मार्च से तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जांच हुई। परंतु सीडीओ की जांच में कुछ बिंदु निकल कर आए हैं। लेकिन गहराई से आख्या नहीं दी गई। रक्त संबंधित कानून के उलंघन का कहीं जिक्र नहीं हुआ। आचरण नियमावली का उलंघन दर्शाया गया, परंतु किन-किन नियमों का उल्लंघन हुआ उसका जिक्र नहीं है। हमने एक नारा दिया था उत्तराखण्ड सरकार से कोई बैर नहीं और जिला पंचायत पौड़ी के भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं।

गौरव रावत, जिला पंचायत सदस्य, थेर पौड़ी

इस मामले की जांच कराएंगे और जो भी न्याय संगत होता वह किया जाएगा।

हरीश चंद्र सेमवाल, सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड

मैं इस मामले को देखता हूं।

विनय शंकर पाण्डे, कमिश्नर, गढ़वाल

कैसे सुधरे मिट्टी, पानी की सेहत

हवा के साथ ही मिट्टी और पानी भी देश में प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं जिनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और संरक्षण के लिए जनजागरूकता जरूरी है। इसके मद्देनजर ही हरिद्वार जिले के गाजीवली गांव में राष्ट्रीय विज्ञान एवं संयम परिषद् ने तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर नई पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का बीड़ा उठाया है

मिट्टी पानी और गुणवत्ता पर आयोजित कार्यशाला

दिनेश पंत

अगर नई पीढ़ी को कोई उपहार देना हो तो उसे साफ-स्वच्छ हवा, पानी और मिट्टी दें। बगैर प्रदूषित किए नई पीढ़ी को इन स्रोतों को हस्तांतरित करें। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पानी नहीं तो जीवन नहीं और पानी की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है। मिट्टी और पानी की सेहत का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है। कहावत यह भी है कि मिट्टी का पोषण करो, पौधों का नहीं, ताकि मिट्टी स्वयं पौधे का पोषण करे। लेकिन आज मिट्टी और पानी के साथ ही मानव की सेहत पर भी खराब प्रभाव पड़ रहा है तथा उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। यह सीधे-सीधे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जनसमुदाय में जागरूकता पैदा की जाए।

मिट्टी पानी की दिनों-दिन बिगड़ती सेहत को देखते हुए पिछले दिनों राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार परिषद ने हरिद्वार जिले के गाजीवली गांव में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पानी एवं मिट्टी प्रबंधन की आवश्यकता, पानी की सुरक्षा, गुणवत्ता, संरक्षण के बारे में कृषकों, महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। यह भी बताया गया कि अगर समय रहते मिट्टी और पानी की सेहत को नहीं सुधारा गया तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। उत्कर्ष नव चेतना व उत्थान संस्था द्वारा संचालित इस कार्यशाला में 'मिट्टी व पानी की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए विज्ञान संचार' विषय के तहत मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादक क्षमता, पोषक तत्वों, मिट्टी की देखभाल, मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, जल की गुणवत्ता, जल से होने वाली बीमारियों, साफ पानी के मानक व वाटर रिचार्जिंग पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

मिट्टी व जल का संरक्षण क्यों?

आज से करीब चार सौ साल पहले कवि रहीम ने भविष्य में होने वाले पानी के संकट को भांपते हुए लिखा कि 'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून' उनका यह दोहा वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता लिए हुए है। तब से अब तक एक नहीं सैकड़ों बातें पानी के महत्व को लेकर कही जाती रही हैं, लेकिन बावजूद जल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यही नहीं इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। अधिकांश पेयजल स्रोत दूषित हो चुके हैं। ऐसे में पानी के स्रोतों व उनकी गुणवत्ता को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कहा जाता है कि पानी की हर बूंद मूल्यवान है। पानी का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का संसार सूक्ष्म जीवों का संसार है और अधिकांश जीव खुली आंखों से इसे देख नहीं पाते। मिट्टी हजारों प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की दुनिया है। मिट्टी के अंदर के संसार की गतिविधियां उसके ऊपर के संसार से अधिक हैं। कोई भी पारिस्थितिकीय तंत्र अपने आपसे स्वतंत्र व आत्मनिर्भर नहीं होती। एक तंत्र दूसरे तंत्र से अंतर्संबंध रखता है। ये संबंध बड़े नाजुक होते हैं। परंपरागत खेती में हमेशा मिट्टी के मोल को पहचाना गया लेकिन आधुनिक खेती ने इसको नुकसान पहुंचाया है। संसार में अधिकतर पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधे भी नहीं रहेंगे। पौधों के न रहने पर मानव भी जीवित नहीं रह सकता है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो जल भी पृथ्वी में अवशोषित नहीं हो पाएगा, जिससे पेड़ पौधे जल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज मिट्टी के निरंतर ह्रास के कारण रेगिस्तानीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगी है। ऐसे में कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। जमीन हरियाली विहीन हो रही है। मिट्टी की आद्रता कम हो रही है। मिट्टी भुरभुरी हो रही है। घास व पेड़ों का अभाव हो रहा है। तापमान में अंतर आ रहा है।

आज अकेले उत्तराखण्ड में ३५ प्रतिशत क्षेत्र जबरदस्त भूकटाव की चपेट में है। ४० टन पोषक तत्वों से भरी मिट्टी मैदानों को बह रही है। इसका फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रहे भूकटाव का मैदानी क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सबसे अधिक प्रभाव खेती योग्य मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। ऐसे में मिट्टी के रखरखाव व गुणवत्ता को बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आ गई है। एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकीय तंत्र अपने अंदर नमी, पोषक तत्व व सूक्ष्म जीवों को संजोकर रखता है और अच्छी तरह हवादार होता है। आज के संदर्भ में पानी व मिट्टी को बचाए रखने के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूक होना भी जरूरी है।

बात अपनी-अपनी

स्वस्थ जल व स्वास्थ्य के बीच के संबंध को जानना बेहद जरूरी है। ग्रामीण समुदाय में पानी के स्वास्थ्य की समझ विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दूषित पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता जरूरी है ताकि दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।

डॉ. अरुण शर्मा, पर्यावरण एवं जल जांच विशेषज्ञ

किसानों, महिलाओं में जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल संरक्षण, मिट्टी प्रबंधन की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। मिट्टी व पानी की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए किसानों व महिलाओं को जागरूक होना भी जरूरी है। मिट्टी व पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच जरूरी है।

डॉ. दीपशिखा, मृदा जांच विशेषज्ञ

निक्षय मित्र - एक नेक पहल

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में डॉ. रमेश कुंवर को कांस्य पदक

टीबी मरीजों के लिए शुरु की गई निक्षय मित्र पहल के तहत पौड़ी जनपद में 473 लोगों ने तपेदिक (टीबी) से पीड़ित 246 रोगियों को गोद लिया गया है। इस पहल के जरिए तपेदिक से पीड़ित रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द इस बीमारी से ठीक हो सकें

जसपाल नेगी

केंद्र सरकार की निक्षय मित्र योजना पौड़ी जनपद में टीबी से ग्रसित लोगों के लिए कारगर साबित होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की मानें तो टीबी बीमारी के चिन्हित १३७८ लोगों में से अब तक जनपद में ७७८ लोग इस बीमारी से स्वस्थ्य हो चुके हैं। इस सब के बीच टीबी उन्मूलन को लेकर शुरु हुई इस मुहिम में निक्षय मित्रों की भूमिका की स्वास्थ्य विभाग सराहना कर रहा है।

केंद्र सरकार ने सितंबर २०२२ में निक्षय मित्र योजना शुरु की। इसके साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से टीबी रोगियों को उपचार होने तक ५०० रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाता है। इसके पीछे की एक मंशा टीबी रोग को जड़ से समाप्त करना है। टीबी से ग्रसित लोगों को गोद लिए जाने के लिए भी एक पहल की गई। जिसमें सांसद, विधायक हो या अधिकारी, कर्मचारी सभी को इस मुहिम में हाथ बढ़ाने के लिए आगे आने का संदेश भी दिया गया। पौड़ी जनपद में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक २०२२-२३ में जनपद में ४७३ लोग निक्षय मित्र बने चिकित्साधिकारियों, फार्मसिस्ट, कर्मचारी, शिक्षा, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ने दरिया दिली दिखाई तो चिन्हित टीबी से ग्रसित रोगियों के लिए पोषण किट मुहैया कराई। किट में अंडे, सोयाबीन की दाल, सोयाबड़ी, आटा, चावल आदि शामिल किया जाता है। एक तरफ से कहें तो २४६ टीबी मरीजों को गोद लिया गया। टीबी के लक्षण या संभावना के दृष्टिगत विभाग का निक्षय वाहन रोस्टर के तहत विभिन्न विकासखंडों में जाकर ग्रसित लोगों का बलगम लेकर जांच के संबंधित स्वास्थ्य केंद्र लाता है ताकि मरीजों को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र न आना पड़े। इसके अलावा कुछ विकासखंडों में एक संस्था के माध्यम से भी टीबी संभावित व्यक्ति के बलगम लाने में सहयोग लिया जा रहा है। पुष्टि होने पर उनका उपचार किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ रमेश कुंवर को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया।

> पौड़ी जनपद में निक्षय मित्र योजना शुरु होने के बाद 778 टीबी से ग्रसित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी चिन्हित लोगों का विभाग की ओर से उपचार किया जा रहा है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। आने वाले समय में इसके और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
>
> ***डॉ. रमेश कुंवर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल***

योजना के तहत निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति, समूह हो सकता है जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति की मदद को हाथ बढ़ाए। पौड़ी जनपद में मौजूदा समय में ४७३ निक्षय मित्र हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें १०८ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक हैं। इसके अलावा विभाग के फार्मासिस्ट, कार्मिकों के साथ ही शिक्षा, पंचातयती राज सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों, अधिकारी यह भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा २१ मरीजों को पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी तथा एक को श्रीनगर विधायक डॉ धन सिंह रावत ने गोद लिया। इन्हीं के सहयोग से टीबी से ग्रसित लोगों को पोषण किट दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

ऐसे करते हैं टीबी के प्रारंभिक लक्षणों की जांच

यदि किसी व्यक्ति में दो सप्ताह से खासी का प्रकोप है और उसे बुखार भी आ रहा है। बलगम में खून की शिकायत के अलावा भूख नहीं लग रही तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे टीबी रोग की प्रारंभिक स्थिति पर उस व्यक्ति के बलगम की जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट आने पर उसको टीबी रोग होने या न होने की स्थिति से अवगत कराया जाता है। विभाग के मुतबिक जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा उपलब्ध है।

देवभूमि की सियासत पर यूपी का साया

उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बनने के महज 22 साल बाद ही उत्तराखण्ड का राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित होता नजर आ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर मंत्रियों में देखने को मिला है। आए दिन किसी न किसी मंत्री का ऐसा मामला सामने आता है जिससे लगता है कि देवभूमि की सियासत पर यूपी का साया पड़ रहा है। ताजा मामला कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का है। उनका अपनी ही पार्टी के विधायक से हुआ शीतयुद्ध सुर्खियों में है

सीएम धामी ने कराई दुर्गेश्वर लाल और सुबोध उनियाल की सुलह

कृष्ण कुमार
krishanèkumar@thesundaypostèin

मौजूदा समय में प्रदेश भाजपा के भीतर घमासान मचा हुआ है। ताजा मामला वन मंत्री सुबोध उनियाल और पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच हुए शीतयुद्ध का है। जिससे पार्टी को असहज होना पड़ा। साथ ही विपक्ष को भी सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर होने का अवसर अनायास ही मिल गया है। हालांकि जितनी तेजी से यह मामला उठा उतनी ही तेजी से भाजपा संगठन और सीएम धामी द्वारा शांत कर भी दिया है।

पुरोला के भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपने क्षेत्र के कई लोगों के साथ पुरोला में तैनात डीएफओ दंपति के स्थानांतरण की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास में गए जहां बातचीत के बीच मामला कहा-सुनी में बदल गया। साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल ने विधायक के आरोपों की जांच करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक को आदेश लिख कर दे दिया जिससे विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा प्रमुख वन संरक्षक के हाथों से उक्त पत्र को छीनकर न सिर्फ फाड़ दिया, साथ ही पत्र के टुकड़ों को दोनों के ही सामने उछाल भी दिया। विधायक दुर्गेश्वर लाल इतने नाराज थे कि वे बाहर आकर अपने समर्थकों के साथ मंत्री आवास में ही धरने पर बैठ गए।

मंत्री-विधायक के बीच कहा-सुनी और उनके खिलाफ मंत्री आवास में ही धरने पर बैठने से मामला चर्चाओं में आ गया। गौर करने वाली बात यह है कि विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सुबोध उनियाल पर धक्का-मुक्की और गाली-गलौच करने के साथ-साथ जाति सूचक शब्द कहने के भी गंभीर आरोप लगाए। कई घंटों तक मंत्री आवास में धरना चलता रहा और सुबोध उनियाल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहे।

सूत्रों की मानें तो भाजपा विधायक द्वारा अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ धरना देने को लेकर प्रदेश पार्टी नेतृत्व को नहीं सुहाया। भट्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए धरना खत्म करने का आदेश तो दिया ही साथ ही वन मंत्री और विधायक दोनों को ही अपनी बात शालीनता से रखने की चेतावनी दी और दुर्गेश्वर लाल को प्रदेश कार्यालय में तलब किया। इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हुई तो उन्होंने भी दोनों को विवाद से बचने की सलाह देते हुए अगले दिन अपने कार्यालाय में बुलाकर उनके बीच समझौता करवाया। मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। विधायक के सुर भी बदल गए और मामले को घर का विवाद बताकर खेद प्रकट कर किया गया।

देखा जाए तो यह मामला अब पूरी तरह से शांत हो गया है लेकिन इसके पीछे कई ऐसी खबरें हैं जो भाजपा विधायकों और सरकार के मंत्रियों के बीच तनातनी की खबरों से जुड़ी बताई जा रही है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि विधायक अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए मंत्रियों पर अत्यधिक दबाव बनाने के लिए कई बार अनुशासन की सीमा भी लांघ रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे भाजपा में आए हुए कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी जमात का असर बता रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल पूर्व में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और २०१७ में त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्री बने। पुरोला के वर्तमान विधायक दुर्गेश्वर लाल भी २०२२ के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस से भाजपा में आए और विधायक बने। दुर्गेश्वर लाल के साथ ज्यादातर समर्थकों की जमात पूर्व कांग्रेसियों की ही है जिसका असर मंत्री आवास में धरने को लेकर सामने आया। इसके अलावा यह भी जानकारी छनकर आ रही है कि पुरोला क्षेत्र में केदारकांठा, हर की दून ट्रैक पर पर्यटकों की संख्या सीमित करने का फैसला स्थानीय कारोबारियों को पंसद नहीं आ रहा है जिसके चलते वे वन विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास करते रहे हैं। उनका मानना है कि पर्यटकों की संख्सा सीमित करने से उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।

ऐसा नहीं है कि केवल कारोबार से जुड़ा मामला हो। यह भी अरोप है कि इस क्षेत्र में ठेकेदारों की एक बड़ी लॉबी है जो अपने मनमाफिक काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करवाने में सबसे आगे रही है। पूर्व में एसडीएम का तबादला भी इसी रणनीति के चलते करवाया गया। सूत्रों की मानें तो विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दबाव बनाकर एसडीएम का तबादला करवाया। इसके बाद डीएफओ का भी तबादला करवाने में सफल रहे।

विधायक के आरोप की बात करें तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क तथा अपर यमुना वन प्रभाग तथा यमुना वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी कुंदन कुमार पर आरोप है कि वे नियम-कानूनों की आड़ में स्थानीय लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में दोनों के खिलाफ भारी नाराजगी है। इनके स्थानांतरण के लिए विधायक दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री से कई बार गुहार लगा चुके थे। इसी के साथ विधायक द्वारा डीएफओ पर कई आरोप लगाए गए जिनकी जांच करवाने के लिए वन मंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक को अपने आवास में बुलाया और विधायक के सामने ही जांच के आदेश जारी किए लेकिन विधायक तत्काल स्थानांतरण की जिद करने लगे।

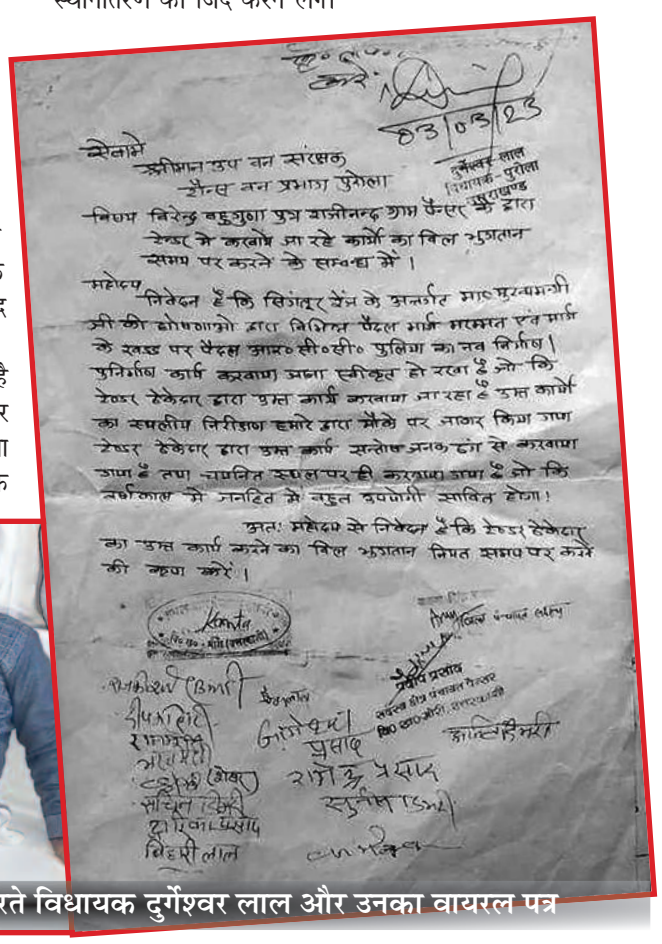

03/03/23

सेवामें
श्रीमान उप वन संरक्षक
रेंज वन प्रभाग पुरोला

दुर्गेश्वर लाल
विधायक-पुरोला
उत्तराखण्ड

विषय निरंकु बहुगुणा पुत्र बाजीनन्द ग्राम ऊँनरा के द्वारा
रेंज मे करवाये जा रहे कार्यो का बिल भुगतान
समय पर करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,
निवेदन है कि सिंगतूर रेंज के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री
जी की घोषणाओ द्वारा विभिन्न पैदल मार्ग मरम्मत एवं मार्ग
के स्वरूप पर पैदल आर०सी०सी० फुलिंग का नव निर्माण।
पुनर्निर्माण कार्य करवाया जाना स्वीकृत हो रखा है जो कि
रेंजर ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य करवाया जा रहा है उक्त कार्यो
का स्थलीय निरीक्षण हमारे द्वारा मौके पर जाकर किया गया
रेंजर ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य सन्तोष जनक ढंग से करवाया
गया है तथा चयनित स्थल पर ही करवाया गया है जो कि
वर्तमान मे जनहित मे बहुत उपयोगी साबित होगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि रेंजर ठेकेदार
का उक्त कार्य करने का बिल भुगतान नियत समय पर करने
की कृपा करें।

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संग बातचीत करते विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनका वायरल पत्र

विधायक द्वारा डीएफओ के स्थानांतरण के पीछे भी कई चर्चाएं हैं। आरोप है कि विधायक ठेकेदारों के कामों के भुगतान के लिए टोंस वन प्रभाग पर दबाव बनाते रहे हैं। उनके द्वारा भुगतान के लिए लिखा गया एक पत्र भी खूब चर्चाओं में है जिसमें टोंस वन प्रभाग के उपवन संरक्षक को सिंगतूर रेंज के अंतर्गत करवाए गए काम, उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके गुणवत्ता का प्रमाण देते हुए भुगतान करवाने की बात लिखी गई है। जबकि कई स्थानीय लोगों द्वारा पुरोला में कामों की गुणवत्ता पर ही सवाल खड़े किए गए हैं।

जनता पर भारी पड़ा मंत्रियों का पारा

भाजपा विधायकों और मंत्रियों के मामले पहली बार सामने नहीं आए हैं। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जिनके चलते सरकार के मंत्रियों से धक्का-मुक्की और मारपीट के मामले चर्चाओं में रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ ऋषिकेश में बीच सड़क पर स्थानीय व्यक्ति के साथ बुरी तरह से मारपीट करने का मामला ज्यादा पुराना नहीं है। स्थानीय व्यक्ति की सिर्फ इतनी-सी गलती थी कि उसने जाम में फंसे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश की दुर्दशा का आईना दिखाने का साहस किया जिस पर नाराज होकर मंत्री ने अपने सरकारी सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव के साथ सड़क पर ही मारपीट की। मंत्री का मन इतने से भी नहीं भरा तो पीड़ित के खिलाफ ही लूट और मारपीट का मुकदमा तक दर्ज करवा दिया।

ऐसा ही कृषि मंत्री गणेश जोशी का भी एक मामला सुर्खियां बटोर चुका है जिसमें मंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय व्यक्ति के तंज से नाराज होकर उनके समर्थकों द्वारा उक्त व्यक्ति को मंत्री के ही सामने बुरी तरह से पीटा गया। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ मंत्री जी के सामने होता रहा और समर्थक स्थानीय व्यक्ति को पीटते रहे।

वन मत्री सुबोध उनियाल के भी कई मामले धमकाने और गाली-गलौच करने के सामने आ चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में योग प्रशिक्षुओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सुबोध उनियाल की विधानसभा में ही मांग पत्र देने के दौरान कहा-सुनी हो गई जिसमें मंत्री जी को यह कहने पर कि हमने आपको वोट दिया है तो मंत्री जी का पारा चढ़ गया। सबके सामने ही सुबोध उनियाल और योग प्रशिक्षुओं के बीच जमकर कहा-सुनी हुई। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ।

इससे पूर्व सुबोध उनियाल और भीमताल के भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा के बीच हुई बातचीत में मंत्री द्वारा हाईकोर्ट के साथ ही याचिकाकर्ता एक्टिविस्ट के खिलाफ अपशब्द कहने का भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, क्षेत्र में बाघ और तेंदुए द्वारा तीन बालिकाओं पर हमला करके उनको मार डालने पर क्षेत्र के लोग खासे नाराज थे और वे विधायक कैड़ा के पास बाघ मारने की अनुमति दिलवाने के लिए आए।

इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में खासा चर्चाओं में रहा। हालांकि इस मामले में मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा स्पस्टीकरण आया कि बातचीत में उनकी आवाज नहीं थी और न ही उनके द्वारा इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कांग्रेस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार के मंत्रियों पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और जनता से दुर्व्यहार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की।

कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासौनी द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उत्तराखण्ड को वकायदा पत्र लिखकर मंत्री सुबोध उनियाल पर न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर स्वतः सज्ञान लेने का आग्रह करते हुए कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने विधायक कैड़ा से इस मामले की सच्चाई पूछे और अगर मामला सही पाया जाता है तो माननीय हाईकोर्ट के खिलाफ अपशब्द कहने वाले मंत्री से सार्वजनिक माफी मंगवाने का काम सरकार को करना चाहिए।

उत्तराखण्ड मांगे नया भू-कानून-1

हरीश रावत
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

चौबीस दिसंबर, २०२३ को देहरादून में एक स्वस्फूरित बहन और भाइयों का बड़ा सा हुजूम उमड़ा। मैं इस हुजूम के मकसद को देखकर संख्या बल को गौण समझता हूं, फिर भी लोगों का कयास है कि सब मिलाकर ८-१० हजार लोग अपने-२ संसाधनों से, अपने बैनर व झंडे, अपने नारे, अपना खाना, अपना वाहन, सब कुछ अपना लेकर जुटे। केवल एक दर्द उन सबमें बड़ा आम था, वह था कि कहीं ऐसा न हो हमको हमारी मिट्टी से ही अलग कर दिया जाए! हमारी थाती ही हमारे लिए पराई न हो जाए। मैं उन सब लोगों को जिन्होंने इस जुड़ाव के लिए आवाह्न किया बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हां, जितनी कसक उनकी आवाज में थी, उनके तारों में थी, जो दर्द उनके शब्दों में था, वह दर्द दो ऐसी लाइनों से गूंजायमान हो रहा था जिनको राज्य बनने के २३ साल बाद हमारी इच्छा सुनने की नहीं थी। हम चाहते थे उसका जो संशोधित सर्व स्वीकार्य रूप है हम उस रूप में उसको सुनें, हम चाहते थे कि वह शब्द हों 'बोल उत्तराखण्डी हल्ला बोल'! पहाड़ को तो हमने राज्य आंदोलन के दिनों में ही एक समग्र हिमालयी पहचान जिसको उत्तराखण्डी कहा गया उसमें समाहित कर दिया है और फिर दर्द केवल पहाड़ों में ही नहीं है, जिन लोगों का हुजूम उमड़ा था वह दर्द कहीं कुछ ज्यादा तो कहीं थोड़ा कम, मगर पूरे उत्तराखण्ड का शकल उत्तराखण्डी दर्द है जिस तरीके से पहाड़ों की बेटी गंगा और यमुना ने पहाड़ से निकल कर, आगे बढ़कर, बढ़ते-बढ़ते गंगा-जमुनी संस्कृति को परवान चढ़ाने का काम किया। राज्य के आन्दोलनकारियों ने भी इन गांवों से निकल कर झट-पटाते दर्द के साथ, कराहते हुए अपनी उत्तराखण्डी पहचान को आगे बढ़ाया, साकार किया। मुझे याद है जब केंद्र सरकार ने राज्य का नाम उत्तरांचल कर दिया था। कितना झट-पटाते थे, हममें एक बेचैनी थी, एक व्याकुलता थी, अरे हमारी उत्तराखण्डी पहचान मिटा दी! हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे अब पीछे कदम हटे हैं, अब तो कदम आगे बढ़ने हैं जो उत्तराखण्डी पहचान बनी है उस पहचान को साक्षात मूर्तमान रूप में दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनाना है।

मैंने कहा न यह दर्द गंगा और यमुना के हर मुकाम का दर्द है। यह दर्द यदि उत्तरकाशी, श्रीनगर, देवप्रयाग का दर्द है तो यह दर्द उतने ही साक्षात रूप में मुनिकीरेती, श्यामपुर, कांगड़ी, भोगपुर और बालवाली की खोह में जो उत्तराखण्डी संस्कृति है उसका भी दर्द है। उसी प्रकार से यमुना के हर खोह में, हर मुकाम पर एक उत्तराखण्डी संस्कृति है जो हमारी साझी संस्कृति के रूप में हम सबको गौरवान्वित करती है। जब जमीन नहीं रहेगी तो संस्कृति कहां से रहेगी, माटी में ही तो चीजें अंकुरित होती हैं, जब माटी नहीं रहेगी तो अंकुरण कहां से होगा? जब भूमि नहीं रहेगी तो भूमिपुत्र कहां से रहेंगे? उनके साथ लिपटी हुई उनकी सांस्कृतिक विरासतें कहां से रहेंगी? उनकी आध्यात्मिक विरासतें कहां से रहेंगी? आज हम सब लोग उन विरासतों की रक्षा के लिए चिंतित हैं। अब चिंता इस बात को लेकर के हैं कि इस उत्तराखण्डी पहचान को, सांस्कृतिक धरोहरों से लिपटी हुई पहचान को, इस मिट्टी के सत्व की रक्षा कैसे की जाएगी, इसके लिए हमें सारे उत्तराखण्ड को एकजुट रखना है! हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, जो लोग राज्य मांग रहे थे उनके मन में राज्य का खाका बिल्कुल साफ था। इसलिए तो आधी रोटी खाएंगे, गुड़-चना खाएंगे, कोदो मडुआ खाएंगे, टाट-बोरा बिछाएंगे, राज्य चलाएंगे, उनके नारे उनकी दीर्घकालिक सोच को स्पष्ट करते थे। हम ही कहीं भटक गए दास्तां कहते-कहते, बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, जब लोग समझ रहे थे कि हिमालय की गोद में अपनी गंगा-जमुनी हिमालयी संस्कृति, तप-तपस्या और बलिदान की संस्कृति को आगे बढ़ाता हुआ एक राज्य अस्तित्व में आया है तो हम भौतिकता के चकाचौंध में कुछ ऐसे फंस गए कि रास्ता कहां से कट गया, तरक्की के शॉर्टकट के चक्कर में हम ऐसे फेर में फंस गए, न शॉर्ट ही रहा और न गंतव्य ही रहा। यदि ऐसा नहीं होता, हम अपनी भूमि के लिए चिंतित नहीं होते, अपने सत्व के लिए चिंतित नहीं होते तो राजनीतिक दल हिमालय की तर्ज पर भू-कानून की बात क्यों करते? बल्कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने तो उनसे भी बेहतर कल्पना के भू-कानून की बात कही। जब राज्य में औद्योगिक निवेश आ रहा था, टैक्स हॉलीडे स्कीम जिसको यूपीए सरकार लेकर के आई थी उसके सद्परिणाम स्वरूप में जब विशेष दर्जा प्राप्त हिमालयी राज्यों के मैदानी भू-भागों में तेजी से औद्योगीकरण होने लगा तो उस समय भी लोग सचेष्ट और चिंतित थे और लोगों ने कहा कि औद्योगिकरण चाहिए। मगर उसमें पहला हक प्रदेश के बेटे-बेटियों का होना चाहिए। इसी भावना को लेकर लोगों ने मांग की कि यहां लग रहे उद्योगों में ७० प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होने चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में ७० प्रतिशत पद आरक्षित करने वाला पहला राज्य उत्तराखण्ड था, अब तो यह प्रायः सभी राज्यों की मांग हो गई है।

मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में जो जमीन खरीदने पर पाबंदी हमने लगाई थी उसके नोटिफिकेशन को डिनोटिफाड कर देते हैं और कुजा एक्ट में कुछ ऐसे परिवर्तन लाते हैं जिसके जरिए उत्तराखण्ड में जमीन खरीदना उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सरल हो जाता है और एक डिटरेंट/ प्रतिबंध जो एक रोक का काम कर सकता था उसको भी हटा देते हैं और वह डिटरेंट था कि यदि आवंटित भूमि को उद्यमी उद्योग विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा तो एक समय बाद वह जमीन वापस राज्य सरकार में निहित हो जाएगी जिसका सहारा लेकर आज आईडीपीएल की जमीन वन विभाग में वापस आ गई है। उस रूप को हटाने का असर यह पड़ा कि अब किसी भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर खरीद लो कल मर्जी न आए तो आप लैंड यूज बदल सकते हैं। उत्तराखण्ड की भूमि जो जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में और अधिक दुर्लभतम व मूल्यवान होती जा रही है। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जो प्राकृतिक रियासतें हैं उसके कारण दुर्लभतम होती जा रही हैं उसको खरीदने का धन्ना साहबों को एक बेहतर अवसर मिल गया है, किसी ने मुझे जानकारी दी है! यह बात कितनी तथ्यात्मक है अभी मैं उसको गूगल की सहायता से सर्च कर रहा हूं। पिछले 5 सालों के भीतर सर्वाधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां देहरादून और हल्द्वानी के बाद यदि कहीं हुई हैं तो वो अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद हैं। तकलीफ की बात यह है कि जितने ऐसे दुर्लभतम प्रकृति प्रदत्त स्थल हैं जहां जमीन बेची नहीं जा सकती है, सोचा भी नहीं जाना चाहिए वहां की जमीनें भी बिक रही हैं और एक आंकड़े के अनुसार पिछले 5 वर्षों के भीतर 1 लाख से ज्यादा ऐसी भू रजिस्ट्रियां विभिन्न जिलों में अस्तित्व में आई हैं। यह लोग कौन हैं जो भाग 2 के रजिस्टर से भी ऊपर हैं? कहां से आए हैं, क्या मकसद है? किसी को कुछ मालूम नहीं है!

हम कुछ मामलों में हिमाचल से भी आगे खड़े हो गए थे और हमारे ही विधायक गणों आदि सबने हमारी सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया है कि हम ५०० गज से ज्यादा का भूखंड खरीदना, किसी गैर उत्तराखण्डी के लिए जो १९८५ से पहले उत्तराखण्ड में नहीं आया है उसके लिए उसको वर्जित बना दें और ऐसा नहीं था कि किसी भावना में यह निर्णय लिया गया था, उस निर्णय की पुष्टि जो दूसरी निर्वाचित सरकार आई थी उसने भी किए, उन्होंने उसको घटा करके ढाई सौ गज कर दिया। एक के बाद एक निर्वाचित सरकारों ने भूमि को उत्तराखण्ड के लिए दुर्लभ वरदान माना और उसके संरक्षण को अपना कर्तव्य मानकर इस तरीके की अधिसूचनाएं जारी की। कहीं न कहीं पहले दशक के उत्तरार्ध में हम भौतिकवाद की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगे। एम्बेसडर कार, मारुति और जीपों के युग से हम एक्सयूवी कल्चर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे मालूम नहीं कब किस गैर देहरादून वाले निर्वाचित प्रतिनिधि ने देहरादून में पहला भूखंड खरीदा, यह खोज का विषय होना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों से ब्लॉक प्रमुख और फिर देखा-देखी मझौले व छोटे स्तर के अधिकारी, पूर्व सैनिक गण, फिर तो कारवां बन गया और लोग चलते गए, कहां जा रहे हैं इसका पता ही नहीं रहा! अच्छे छरहरे स्फूर्तिवान, गतिशील गांवों से हम भुतहा गांवों की तरफ कब हमारे कदम बड़े उसका कभी समय मिलेगा तो विश्लेषण अवश्य करूंगा। दूसरे दशक में दैवीय आपदा ने हमको मिलकर के स्थितियों का सामना करना तो सिखाया, जितने कम समय में भयंकर दैवीय आपदा से हम उभरे वह अकल्पनीय है और यह तभी संभव हुआ जब सब साथ खड़े हुए। लेकिन दैवीय आपदाएं आती क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे भटकते कदम प्रकृति और देवताओं को भी नाराज कर रहे हों! दैवीय आपदा की चेतावनियां भी अंधाधुंध तथाकथित तरक्की की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदमों से पैदा हो रहे खतरों से हमको सावधान नहीं कर पाए। आज उसी का परिणाम है कि हिमालय अब और अत्यधिक संवेदनशील हो उठा है।

एक बार अल्मोड़ा में एक विचार गोष्ठी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आई थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित कमलापति त्रिपाठी भी पधारे थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी मदद कीजिए, केंद्र को मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ हमारे ऊपर डेवलपमेंट के लिए बोझ है। आमदनी नहीं है मगर खर्चे बहुत हैं, वह एक यथार्थ था लेकिन श्रीमती इंदिरा जी ने जो इसका उत्तर दिया, वह उस समय के नेतृत्व की हिमालय के प्रति संवेदनशीलता को दिग्दर्शित करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने कहा हिमालय हमारे ऊपर बोझ नहीं है, यह पहाड़ हमारा बोझ उठाए हुए हैं। ये हमारे पर्यावरण के संरक्षक हैं और श्रीमती इंदिरा जी के यही शब्द थे जो इन्होंने सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें दशक तक केंद्र और राज्य सरकारों का हिमालय को लेकर के मार्गदर्शन किया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं लेकिन कुछ हटकर के कर दिखाने की चाह में पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर प्रहार कर रहे हैं। हर घटना व सोपान को प्रबंधकीय कला से परोसने की चाहत में स्थितियों को और विकट बना दिया है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर इतना संवेदनशील हो सकते हैं कि वह गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दें और २५ हजार करोड़ रुपया वहां के ढांचा के विकास में खर्च करने की घोषणा कर दें। वहीं मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में जो जमीन खरीदने पर पाबंदी हमने लगाई थी उसके नोटिफिकेशन को डिनोटिफाड कर देते हैं और कुजा एक्ट में कुछ ऐसे परिवर्तन लाते हैं जिसके जरिए उत्तराखण्ड में जमीन खरीदना उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सरल हो जाता है और एक डिटरेंट/ प्रतिबंध जो एक रोक का काम कर सकता था उसको भी हटा देते हैं, और वह डिटरेंट था कि यदि आवंटित भूमि को उद्यमी उद्योग विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा तो वह एक समय बाद वह जमीन वापस राज्य सरकार में निहित हो जाएगी जिसका सहारा लेकर आज आईडीपीएल की जमीन वन विभाग में वापस आ गई है। उस रूप को हटाने का असर यह पड़ा कि अब जमीन किसी बहाने खरीद लो, किसी भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर खरीद लो कल मर्जी न आए तो आप लैंड यूज बदल सकते हैं। उत्तराखण्ड की भूमि जो जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में और अधिक दुर्लभतम व मूल्यवान होती जा रही है। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जो प्राकृतिक रियासतें हैं उसके कारण दुर्लभतम होती जा रही हैं उसको खरीदने का धन्ना साहबों को एक बेहतर अवसर मिल गया है, किसी ने मुझे जानकारी दी है! यह बात कितनी तथ्यात्मक है अभी मैं उसको गूगल की सहायता से सर्च कर रहा हूं। पिछले ५ सालों के भीतर सर्वाधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां देहरादून और हल्द्वानी के बाद यदि कहीं हुई हैं तो वो अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद हैं। तकलीफ की बात यह है कि जितने ऐसे दुर्लभतम प्रकृति प्रदत्त स्थल हैं जहां जमीन बेची नहीं जा सकती है, सोचा भी नहीं जाना चाहिए वहां की जमीनें भी बिक रही हैं और एक आंकड़े के अनुसार पिछले ५ वर्षों के भीतर १ लाख से ज्यादा ऐसी भू रजिस्ट्रियां विभिन्न जिलों में अस्तित्व में आई हैं। यह लोग कौन हैं जो भाग २ के रजिस्टर से भी ऊपर हैं? कहां से आए हैं, क्या मकसद है? किसी को कुछ मालूम नहीं है! जिलाधिकारियों के पास कोई ऐसी सूची नहीं है इसीलिए समाचार पत्रों में जब बार बालाओं की बात आती है, कसीनो की बात सामने आती है, वनंतरा रिजॉर्ट तो आम बात हो गई है तो मन को बहुत चीजें कचोटती हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे कीड़े-मकोड़े हमारे शरीर में रेंगने लग गए हों, क्योंकि हम अपने माटी रूपी शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसका हमको कोई ज्ञान ही नहीं है।

क्रमशः

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 20 जनवरी, 2024

इक्कीसवीं सदी में भी जारी है डायन कुप्रथा

'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो' के आंकड़ों मुताबिक साल 2000 से 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार देकर 2,500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। वहीं 'दैनिक भास्कर' की हालिया एक रिपोर्ट अनुसार असम में 2011 से लेकर 2019 तक डायन होने के शक में 107 महिलाओं की हत्या की जा चुकी है। असम ही नहीं देशभर में कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को डायन बिसाही, जादू टोना के नाम पर प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है जिस दौरान कभी-कभी यह उनकी मौत की वजह भी बन जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट मुताबिक साल 2022 के दौरान देश में 85 महिलाओं को डायन बता कर मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से 74 मामले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से सामने आए हैं

प्रियंका यादव

भारतीय समाज में शोषित और कमजोर वर्ग की महिला को जादू-टोना, डायन कुप्रथा के नाम पर प्रताड़ित करना, महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करने का एक अनोखा तरीका है। देश के कई राज्यों में डायन प्रथा के खिलाफ कानून होने के बावजूद अब तक इस सामाजिक कुरीति पर अंकुश नहीं लग पाया है। आज भी न जाने कितनी ही महिलाएं इस अंधविश्वास का शिकार होती रही हैं।

ताजातरीन प्रकरण असम के सोनितपुर जिले का है जहां ३५ वर्ष की एक आदिवासी महिला को नशे में धुत गांव के कुछ लोगों द्वारा २४ दिसंबर की रात को उसके घर में जिंदा जला दिया गया। पुलिस के अनुसार जादू-टोना करने के संदेह में महिला की हत्या की गई जिसमें कुल ६ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पहचान राम की पत्नी संगीता के रूप में हुई।

'दि इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट अनुसार मृतक महिला के पति का कहना है कि जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी तब उनके घर पर धावा बोला गया और उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की गई। पत्नी को न मारने का अनुरोध करने पर उसे भी पीटकर पेड़ से बांध दिया गया। राम के सामने ही उसकी पत्नी संगीता को घर के साथ जला दिया गया। असम में अंधविश्वास का यह पहला मामला नहीं है। इससे दो महीने पहले सोनितपुर के हीराजुली में डायन होने के आरोप में ४५ साल की महिला मंजू नाग की हत्या कर दी गई थी।

'डीडब्ल्यू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रथा असम के मोरीगांव जिले में फली-फूली। इस जिले को अब काले जादू की भारतीय राजधानी कहा जाता है। दूर-दराज से लोग काला जादू सीखने यहां आते हैं। 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो' के आंकड़ों अनुसार साल २००० से २०१६ के बीच देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार देकर २,५०० से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। वहीं 'दैनिक भास्कर' की हालिया एक रिपोर्ट अनुसार असम में २०११ से लेकर २०१९ तक डायन होने के शक में १०७ महिलाओं की हत्या की जा चुकी है। असम ही नहीं देशभर में कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को डायन बिसाही, जादू टोना के नाम पर प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है जिस दौरान कभी-कभी यह उनकी मौत की वजह भी बन जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट मुताबिक साल २०२२ के दौरान देश में ८५ महिलाओं को डायन बता कर मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें ७४ मामले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीशा से सामने आए हैं। डायर कुप्रथा के नाम पर उत्पीड़न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं।

मॉब लिंचिंग तक की शिकार पीड़िताएं

जादू-टोना करने के आरोप में महिलाओं को डायन, डाकिन, कहीं टोनही बताया जाता है। अक्सर लोग गुनिया, बैगा, बेग जादू टोना उतारने वाले ओझा की बातों में आकर महिलाओं को आरोपी मानकर उनकी हत्या करने और उन्हें प्रताड़ित करने जैसे कदम उठा लेते हैं। परिवार में बच्चा बीमार पड़ा हो या बीमारी से घर में किसी की मौत हो गई हो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या नौकरी न लग पाए इसके अलावा फसल खराब होने तक जैसे कई मसले हैं जिनकी वजह डायन द्वारा किया गया जादू टोने को माना जाता है। इसकी सजा निर्धारित करते हुए डायन मानी जाने वाली पीड़िता पर कई प्रकार के दबाव बनाये जाते हैं। आग को पार करो, बीमारी ठीक करो, मृतक को पुनर्जीवित करो आदि। सजा के तौर पर कभी उनकी जुबान काट दी जाती है तो कभी उनके बाल मुड़वा कर गांव भर में निर्वस्त्र घुमाया जाता है। मुंह पर कालिख पोतने से लेकर मुंह में मल-मूत्र तक भर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आग के हवाले कर देने से लेकर उन्हें समाज गांव और परिवार से बेदखल होने तक का दंश झेलना पड़ता है।

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की अध्यक्ष सरोज पाटिल का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें पीड़ित महिला का साथ उसका परिवार ही नहीं देता। १०० प्रतिशत महिलाएं गरीब घरों की होती हैं। इसके अतिरिक्त डायन और जादू-टोना करने का आरोप ऐसी महिलाओं पर लगाया जाता है जो विकलांग, विधवा या परित्यक्त होती हैं। ज्यादातर मामलों में डायन होने का आरोप लगा महिला को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है उसे और उसके परिवार को जीवनभर बदनामी झेलनी पड़ती है। कई महिलाएं आत्महत्या करने जैसे कदम भी उठा लेती हैं। ऐसे ही कई अन्य कारण हैं जिसे आधार बनाकर समाज किसी महिला को डायन करार देता है।

बीरूबाला मिशन और डायन प्रथा के खिलाफ कड़ा कानून

देशभर में ऐसे कुख्यात परंपरा को रोकने के लिए असम की बिरुबाला और झारखंड की छुटनी महतो ने पहल की जिसके कारण देशभर में कई राज्यों में इस अंधविश्वास के खिलाफ कड़े कानून बने। बीरूबाला राभा नामक एक आदिवासी महिला ने अंधविश्वास और महिलाओं को डायन के नाम पर प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ १९८० के दशक से लड़ाई लड़नी आरंभ की थी। वे लोगों को डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने में लगी रहीं। साल २०११ में उन्होंने एक समान विचार रखने वाले कुछ साथियों के साथ मिलकर 'मिशन बिरुबाला' संस्था शुरू की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने हर तरह के जादू-टोनों के खिलाफ सचेत रूप से काम कर ऐसी मानसिकता से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिलाया। स्वयं डायन प्रथा का दंश झेल चुकी बिरुबाला राभा अंधश्रद्धा से लड़ते हुए ४० से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी हैं और सौ से ज्यादा महिलाओं का पुनर्वास कराया है।

उनके प्रयासों का नतीजा रहा कि राज्य सरकार ने २०१८ में 'असम चुड़ैल प्रताड़ना रोकथाम व संरक्षण अधिनियम' लागू किया। इस कानून के तहत डायन प्रथा एक ऐसे अपराध में आता है जो 'संज्ञेय' तथा 'गैर-जमानती' है। किसी महिला को डायन कहने पर सात साल की सजा तथा ५ लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी महिला को डायन बताकर उसकी हत्या की जाती है तो उस अपराधी के खिलाफ आईपीसी की धारा ३०२ (हत्या के लिये सजा) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीरूबाला को इस कानून से काफी मदद मिली। कानून के प्रावधानों के सहारे उन्होंने जादू-टोनों के खिलाफ लड़ाई लड़कर कई महिलाओं के जीवन को सुरक्षित किया। बिरुबाला के इन्हीं कामों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल २०२१ में पद्मश्री से सम्मानित किया।

केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं

असम के अतिरिक्त बिहार, झारखंड, उड़ीशा और महाराष्ट्र में अलग-अलग डायन प्रताड़ना अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अलावा साल २००५ में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू किया गया। इसी तरह राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा और कर्नाटक में कानून लागू है। लेकिन केंद्रीय स्तर पर अभी कोई कानून नहीं पारित हुआ है।

झारखंड की छुटनी महतो के प्रयास

असम की तरह ही झारखंड में भी डायन प्रथा के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के पीछे फ्रीलीगलएड कमेटी (फ्लैक) संस्था और छुटनी महतो के प्रयास हैं। छुटनी महतो 'डायन प्रथा' का खुद शिकार हुई हैं। वर्ष १९५५ में मडकमडीह गांव की पंचायत ने पड़ोसी के बच्चे का बीमार पड़ने का आरोप महतो पर डाल दिया था। उस दौरान ग्रामीणों ने उनकी संपत्ति हड़प ली, महतो के साथ यौन शोषण सहित बुरा व्यवहार किया गया। पंचायत ने छुटनी महतो पर ५०० रुपए का जुर्माना लगाया। इन सबके बावजूद बच्ची ठीक नहीं हुई। अगले दिन ४०-५० ग्रामीणों द्वारा उनके घर पर धावा बोल कर उन्हें खींचकर बाहर निकाला, उनके तन से कपड़े खींच लिए गए, बेरहमी से पीटकर उन पर मल-मूत्र तक फेंका गया। छुटनी महतो ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और वे महिलाओं को इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालने की मुहिम में जुट गईं। १९९६ में महतो फ्लैक से जुड़ी। फिर साल २००० में गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस (आशा) ने उन्हें समाज परिवर्तन और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान से जोड़ा। छुटनी महतो की मदद से अब तक ५०० से भी अधिक महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी आ चुकी है। यह मुहिम अभी भी जारी है। 'दैनिक भास्कर' की एक खबर अनुसार महतो ने १२५ से अधिक महिलाओं को डायन बिसाही से बचाया है और ५० से अधिक आरोपियों को सलाखों के भीतर पहुंचाया है। उनके कामों को देखते हुए साल २०२१ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया।

फ्लैक संस्था की सराहनीय भूमिका

गैर सरकारी संस्था 'फ्लैक' ने १९९६ से डायन के नाम पर प्रताड़ित महिलाओं के देश में कई सम्मेलन आयोजित किए। इस तरह का सम्मेलन देशभर में पहले कभी नहीं हुआ था। १९९६ में आयोजन के दौरान करीब २१ पीड़िताएं शामिल हुई। १९९७ के दौरान रांची में सम्मेलन के समय २० पीड़िता शामिल हुई। इसी वर्ष मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कनून बनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

काला जादू से होने वाले अपराध को रोकने के लिए बिहार में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, १९९९ लागू किया गया। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना, जान-बूझकर देता है या प्रताड़ित करता है तो उसे ६ महीने तक कारावास की सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दो हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जाएगा।

साल १९९९ में फ्लैक संस्था द्वारा २७-२८ नवंबर को दो दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया जिसमें २५ पीड़िताएं, राष्ट्रीय महिला आयोग की वीनू सेन, बिहार सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग से डायरेक्टर मृदुला सिन्हा शामिल हुई। इसके अलावा विभिन्न राजनितिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उस दौरान तय किया गया कि समाज में गहराई से बैठे अंधविश्वास को खत्म करने के लिए दीर्घकालिक योजना महत्वपूर्ण है। इसके लिए डायन प्रथा की व्यापकता का निश्चित आंकड़ा जुटाए जाने की जरूरत महसूस की गई। समाज में इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए संसाधन के प्रबंध के लिए पटना यूनिसेफ ने मंजूरी दी। दक्षिण बिहार यानी आज का झारखंड में उस दौरान लगभग १८००० पीड़िताओं की संख्या आंकी गई। साल २००० में बिहार से अलग हुए झारखंड में राज्य सरकार द्वारा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम २००१ लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध 'संज्ञेय' तथा 'गैर-जमानती' हैं तथा आरोपी को ६ महीने से लेकर १ साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना और कारावास दोनों की सजा दी जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महज कानून बना कर सदियों पुरानी इस कुप्रथा को खत्म करना संभव नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज में डायन एक ऐसी स्त्री को कहा जाता है जो जादू-टोना करके दूसरों को बीमारी देती है। मौत, अकाल जैसे कई अनैतिक कार्य करती है। यह अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व और कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। यह न केवल अशिक्षित, बल्कि पढ़े-लिखों के एक बड़े वर्ग में भी देखने को मिल जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल

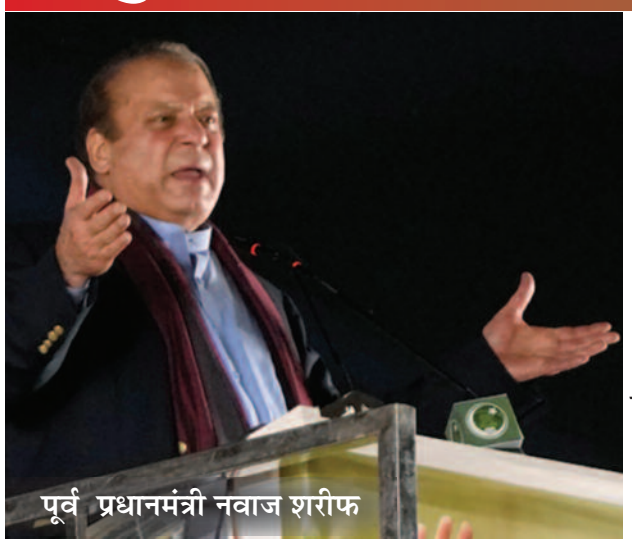

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ

भारत के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र संकट में बताया जा रहा है। यह आरोप दोनों ही मुल्कों के प्रमुख विपक्षी दल लगा रहे हैं। बांग्लादेश में गत् सप्ताह हुए चुनाव बगैर विपक्ष की सहभागिता के लड़े गए जिसके चलते सत्तारूढ़ बांग्लादेश अवामी लीग भारी बहुमत से यह चुनाव जीत गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगले माह चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन प्रमुख विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान समेत पार्टी के कई बड़े नेता जेल में बंद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान में भी बगैर विपक्ष चुनाव होंगे?

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

प्रियंका यादव/आयशा

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में साल २०२४ के पहले ही सप्ताह में हुए आम चुनाव में एक ओर जहां शेख हसीना की सत्ता बरकरार रही, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगले महीने आठ फरवरी को होने जा रहे चुनाव की चर्चा जोरों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज सत्ता संभालेंगे? इमरान खान के बिना उनकी पार्टी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाएगी? या बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हाथ लगेगी हुकूमत?

अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई की बात करें तो उसके लगभग ७६ फीसदी उम्मीदवारों के ही नामांकन स्वीकार किए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश जैसे चुनाव की राह पर है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह के आरोप बांग्लादेश में शेख हसीना पर लगाए गए कि उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी की मुखिया खालिदा जिया को भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाकर जेल में डाला जिसके बाद उनकी पार्टी ने चुनाव से बहिष्कार कर दिया था। देश में सिर्फ ४० फीसदी वोटिंग हुई ठीक उसी तरह पाकिस्तान में इमरान को जेल में रखा गया है और अब चुनाव आयोग ने पीटीआई के कुल ८४३ उम्मीदवारों में से ५९८ उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए हैं।

अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हालांकि थोड़ी राहत मिली है, लेकिन साथ ही बड़ा झटका भी लगा है। इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' अब अपना चुनाव चिह्न 'बैट' फिर से इस्तेमाल कर पाएगी, वहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला सही ठहराया है। यानी इमरान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का चुनाव में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। शरीफ के आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया। जिसके बाद अब नवाज शरीफ चुनाव लड़ पाएंगे।

इस बीच खबर है कि चुनाव पर आतंकी साया भी मंडराने लगा है। ताजा मामला पेशावर से आया है जहां आम चुनाव में प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से राजनीतिक नेताओं के बीच चिंता बढ़ सकती है। इसके अलावा कई उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकी दी गई है। ८ फरवरी को होने वाले चुनाव के पहले और भी कई हमले होने की आशंका जताई जा रही है। यहां तक कि आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने साल २०२४ के लिए अपनी कैबिनेट और अनेक स्टेट गवर्नरों की नियुक्ति भी कर दी है। आतंकवादी संगठन ने इसके लिए बाकायदा अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट भी जारी कर दी है। आतंकवादी संगठन द्वारा जारी लिस्ट में कहा गया है कि टीटीपी सूरा ने वर्ष २०२४ के लिए १३० नेताओं और अधिकारियों की नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है।

गौरतलब है कि करीब २४ करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान इस्लामी आतंकवादियों का गढ़ है जो सख्त कानूनों की मांग करता है। आतंकी संगठनों ने २०२२ के अंत में पाकिस्तान सरकार के साथ युद्धविराम समझौते को रद्द करने के बाद से हमले तेज कर दिए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन पूरे को अफगानिस्तान के तालिबान की तर्ज पर अपना राज्य मानता है और अपने राज्य के विभिन्न इलाकों में वह लगातार अपने मंत्री और गवर्नर नियुक्त करता है। साथ ही अनेक इलाकों में कई बार वर्चस्व की लड़ाई में उसके आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों पर भारी पड़ते हैं, जिसके चलते इन इलाकों में इस संगठन का वर्चस्व कायम रहता है। कहा जा रहा है कि बढ़ते आतंकवादी हमलों से ८ फरवरी के चुनाव भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकारों के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने का इतिहास है। पाकिस्तान में सिर्फ ३७ साल ही लोकतांत्रिक सरकारें रहीं, जिनमें कुल २२ प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इन २२ में से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, पाकिस्तान में अब तक ३२ साल सेना ने सीधे तौर पर शासन किया है और लगभग आठ सालों तक यहां की अवाम ने राष्ट्रपति शासन देखा है। क्या इस बार जो सरकार चुनकर बनेगी वह अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? पकिस्तान के जानकारों की मानें तो सरकारों के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल और पाकिस्तान की जनता का सरकारी संस्थानों पर विश्वास नहीं होना।

वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते सात जनवरी को हुए बारहवें आम चुनाव के परिणामों में बांग्लादेश अवामी लीग ने प्रचंड जीत दर्ज की है, वहीं पार्टी प्रमुख शेख हसीना ने पांचवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपत लेकर इतिहास रच दिया है।

शेख हसीना ने बीते दिनों ११ जनवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि संसद में विपक्ष में कौन बैठेगा? क्योंकि दो तिहाई सीट अकेले हसीना की पार्टी ने जीत ली हैं।

जानकारों का कहना है कि शेख हसीना की जीत कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका अंदाजा सभी को था। मगर इस चुनाव में छिटपुट हिंसा और प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उनके सहयोगी दलों द्वारा बहिष्कार के बीच देखा जा सकता है कि जातीय पार्टी से आगे निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। अवामी लीग ने १५५ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, जबकि जातीय पार्टी ने महज आठ सीटें हासिल की हैं वहीं ४५ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना

बीते ७ जनवरी को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी 'अवामी लीग को २९८ सीटों में से २२३ सीटों पर बहुमत मिला है। लेकिन उनकी इस जीत पर सवाल भी उठने लगे हैं। यहां तक कि उनकी जीत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। विपक्ष उनकी इस जीत को 'झूठा' और 'बेईमानी' बताकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि विपक्षी दलों का यह विद्रोह नया नहीं है। अभी कुछ महीने पहले भी बांग्लादेश में विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ रैली निकाली गई थी। इस रैली ने हिंसक रूप धारण कर लिया था जिसके बाद शेख हसीना के आदेश पर सभी को फौरन जेल भेज दिया गया था। हसीना के इस कदम को विपक्ष ने उनकी हार का डर बताया था।

खास बात यह कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के चुनाव बहिष्कार के बाद हुए चुनाव परिणामों का अंदाजा सभी को था कि अवामी लीग की जीत लगभग है। लेकिन इन चुनावों में केवल ४१.८ प्रतिशत नागरिकों ने ही वोटिंग की यानी देश की आधी से अधिक जनसंख्या ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि चुनाव खत्म होने से एक घंटे पहले तक केवल २७ प्रतिशत ही मतदान हुआ था। ऐसे में चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शेख हसीना देश को लोकतंत्र के रास्ते पर मजबूती से आगे ले जाना चाहती हैं तो उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा। यह भी कहा जा रहा है कि जनता का इस चुनाव से मोहभंग हो चुका था। उनका मानना है कि ये बस नाम भर का चुनाव था, इसका नतीजा क्या आने वाला है वो तो उन्हें पहले से ही पता था। जनता के पास किसी और उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प भी नहीं था, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी नेता या तो जेल में बंद हैं या जो बाहर हैं उन्होंने आम चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था।

गौरतलब है कि कुल ३०० सीटों में से २९८ सीटों पर हुए मतदान में अवामी लीग ने २२३ सीटें जीतीं। दूसरे बड़े राजनीतिक दल जातीय पार्टी को सिर्फ ११ सीटें मिलीं। ६५ सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। चुनाव में माइनारिटी से आने वाले १४ कैंडिडेट जीते हैं, जिनमें से १२ हिंदू हैं। यह आंकड़े संसद में विपक्ष की ताकत और भूमिका के बारे में सवाल उठा रहे हैं। खासकर तब जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया हो। सत्तारूढ़ पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों ने अवामी लीग और जातीय पार्टी के मौजूदा सांसदों सहित दर्जनों दिग्गजों पर चौंकाने वाली जीत हासिल की है।

विपक्ष का संकट

अवामी लीग को पूर्ण बहुमत के बीच निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत देश की राजनीति में संकट पैदा कर सकती है। बांग्लादेश राजनीति की समझ रखने वालों का कहना है कि बगैर विपक्ष शेख हसीना को सरकार चलाने और उनकी विश्वसनीयता स्थापित करने का संकट आने वाले दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है।

सालों के सूखे को कैसे खत्म करेगा भारत?

प्रतिकात्मक चित्र

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पिछले एक दशक से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। वर्तमान में उसका फोकस जून में होने वाले टी-20 विश्व कप पर है। लेकिन इसी के तहत जैसे ही बीसीसीआई ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया उसके तुरंत बाद खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवालों का अंबार लग गया है। 16 सदस्यीय इस दल में सबसे खास बात यह है कि एक ओर जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी-20 टीम में जगह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे कई अनुभवी खिलाड़ियों को दरकिनार कर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टी-20 विश्व कप से भी इनकी छुट्टी हो गई है? आईसीसी ट्रॉफी के एक दशक पुराने सूखे को खत्म करने की क्या यही रणनीति है? क्या भारत टी-20 विश्व जीत पाएगा? या फिर आईपीएल के आधार पर विश्व कप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा?

जीवन सिंह टनवाल

फटाफट क्रिकेट यानी टी-२० क्रिकेट विश्वकप २०२४ के पूरे कार्यक्रम की घोषणा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कर दी है। इस बार एक जून से २९ जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में विश्वकप खेला जाएगा। जिसमें भारत को ग्रुप-ए में शामिल किया गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और पाकिस्तान शामिल है। टूर्नामेंट का पहला मैच कनाडा और अमेरिका के बीच १ जून को खेला जाएगा।

भारतीय टीम विश्व कप का आगाज पांच जून को आयरलैंड के खिलाफ से करेगी, वहीं पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत ९ जून को होगी। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले वेस्टइंडीज में ही खेले जाएंगे। २६ जून को पहला तो २७ जून को दूसरा सेमीफाइनल होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला यानी खिताबी भिड़ंत २९ जून को वेस्टइंडीज के बारबाडोस केंसिंग्टन ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होगा। इस बार कुल ५५ मैच खेले जाने हैं। यह टूर्नामेंट इसलिए भी खास है कि इस बार २० टीमें इसमें हिस्सा लेंगी जो २०२२ में ऑस्ट्रेलिया में हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली १६ टीमों से ज्यादा है।

इस खिताब को जीतने के लिए सभी देशों की टीमें इसकी तैयारी में जुट गई हैं, वहीं अगर भारत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले साल २०२३ काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। दो बार टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंची, लेकिन

रोहित शर्मा और विराट कोहली

फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वनडे विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में भारतीय टीम हावी रही। अब भारत को २०२४ में भी बेहतर प्रदर्शन कर टी-२० विश्व कप जीतकर आईसीसी ट्रॉफी के एक दशक पुराने सूखे को खत्म करने की चुनौती है जिस पर उसे रणनीतिक रूप से काम करना होगा।

इसी के तहत बीसीसीआई ने अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम का जैसे ही ऐलान किया उसके तुरंत बाद खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवालों का अंबार लग गया है। १६ सदस्यीय इस दल में सबसे खास बात यह है कि एक ओर जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी-२० टीम में जगह दी गई है वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे कई अनुभवी खिलाड़ियों को दरकिनार कर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

सबसे ज्यादा चर्चा एकदिवसीय फॉर्मेट में दोहरा शतक जड़ चुके ईशान किशन को जगह नहीं मिलने की हो रही। उनकी जगह जितेश शर्मा और संजू सैमसन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईशान सहित इन अनुभवी बल्लेबाजों की अब टी-२० विश्व कप से भी छुट्टी हो गई है? आईसीसी ट्रॉफी के एक दशक पुराने सूखे को खत्म करने की क्या यही रणनीति है? क्या भारत टी-२० विश्व जीत पाएगा? ऐसे में भारत सालों के सूखे को कैसे खत्म करेगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि टी-२० विश्व कप के पहले टीम इंडिया के पास यही एकमात्र टी-२० सीरीज है, जिसमें चयनकर्ता कुछ प्रयोग कर सकते थे। विश्व कप तैयारियों के लिहाज से टीम का संतुलन खोजने और खिलाड़ियों के चयन के लिए उन्हें आजमाने का यह आखिरी मौका है। ऐसे में जहां ईशान किशन का टीम में शामिल न होना चौंकाने वाला है वहीं अनुभवी खिलाड़ियों की अनदेखी टीम को भारी पड़ सकती है।

दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि रोहित और विराट को टी-२० फॉर्मेट में वापस लाने का मतलब है कि वे विश्व कप खेलेंगे। ये दोनों दिग्गज पिछले टी-२० विश्व कप के बाद से एक भी टी-२० नहीं खेले हैं। रोहित और विराट की वापसी इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि टी-२० विश्व कप में रोहित और विराट नहीं होंगे। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि टी-२० में रोहित की कप्तानी, विराट का इस फॉर्मेट में कम स्ट्राइक रेट, युवा खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की संभावना और क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में संतुलन बनाने के लिहाज से विराट और रोहित को टेस्ट और वनडे तक ही सीमित रखने जैसी बातें कही जा रही थी। लेकिन चयनकर्ताओं ने इसके उलट अफगानिस्तान सीरीज में इन दोनों को शामिल कर एक ओर जहां सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है वहीं दूसरी तरफ अब लगभग तय माना जा रहा है कि टी-२० विश्व कप में टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में ही होगी और विराट का खेलना भी तय है। ऐसे में सवाल है कि इन दोनों की वापसी किन-किन खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है या उनकी टी-२० विश्व कप से छुट्टी हो सकती है यह देखना दिलचस्प होगा?

खेल विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान सीरीज से तो इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है लेकिन आईपीएल में उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखना होगा जो अपने बेहतर प्रदर्शन से बीसीसीआई और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हालांकि फिर भी कुछ नाम हैं, जिन पर गाज गिर सकती है। इनमें सबसे पहला नाम है मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का।

श्रेयस अय्यर : टेस्ट और वनडे के अहम खिलाड़ी हैं लेकिन टी-२० में उन्हें बहुत कुछ साबित करना अभी बाकी है। रोहित और विराट की वापसी का सीधा-सीधा असर इन्हीं पर पड़ना लगभग तय है। नंबर-तीन पर विराट के आने और फिर मिडिल ऑर्डर में सूर्या और हार्दिक समेत कुछ युवा खिलाड़ियों के चलते अय्यर की टीम में जगह बनती नजर नहीं आ रही है।

ईशान किशन और श्रेयस अय्यर

ईशान किशन : एकदिवसीय फॉर्मेट में दोहरा शतक जड़ चुके ईशान किशन कम स्ट्राइक रेट के चलते टी-२० विश्व कप से चूक सकते हैं। हालांकि कभी-कभी ये बेहद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं लेकिन कई मौकों पर इनका बल्ला खामोश पड़ जाता है। ईशान की टी-२० टीम में वापसी भी उनके आईपीएल प्रदर्शन और संजू, जितेश के अफगानिस्तान सीरीज में प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। कुछ युवा खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन भी ईशान को विश्व कप से बाहर रख सकता है।

केएल राहुल : पिछले साल वनडे विश्व कप २०२३ में केएल राहुल ने बतौर बल्लेबाज और विकेटकीपर बेहतर खेल दिखाया। लेकिन खिताबी मुकाबले में उनकी धीमी बल्लेबाजी से वे आलोचकों और चयनकर्ताओं को खटकने लगे। ऐसा कई मौकों पर टी-२० क्रिकेट में भी देखा गया है कि केएल बेहद कम स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केएल राहुल टी-२० विश्व कप से बाहर रह सकते हैं। यही कारण है जो उन्हें अफगानिस्तान सीरीज से बाहर रखा गया है।

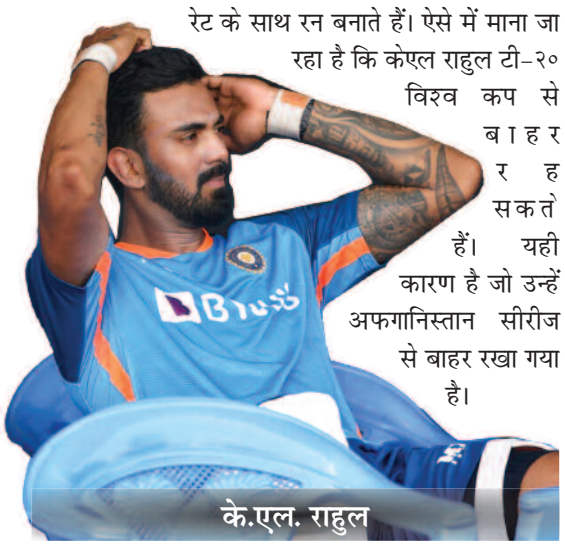

के.एल. राहुल

दावेदार : मौजूदा समय में टी-२० क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान सीरीज में मौका दिया गया है। अगर इनका बेहतर प्रदर्शन जारी रहा तो टी-२० विश्व कप से केएल राहुल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े नामों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि बल्लेबाजी में टीम के पास रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा जैसे विकल्प मौजूद रहेंगे।

वेबसीरीज का बोलबाला

अमित कुमार

पिछले साल 2023 में एक ओर जहां बड़े पर्दे की कई फिल्मों का बहिष्कार देश भर में हुआ, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्जनों वेबसीरिजों का बोलबाला उनके प्रशंसकों में जमकर देखने को मिला। यही नहीं इन्हें टीवी शो और उनका डाटा रखने वाली एजेंसी आईएमडीबी ने टॉप-10 की सूची में रखा है

सिनेमा जगत में पिछले साल बड़े पर्दे की कई फिल्में सुपरहिट रहीं तो कई का देशभर में बहिष्कार किया गया। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्जनों वेबसीरीज का जादू उनके प्रशंसकों में जमकर देखने को मिला। ऐसे ही कुछ वेबसीरीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनको टीवी शो और वेबसीरीज का डाटा रखने वाली एजेंसी आईएमडीबी ने टॉप १० की सूची में रखा है। यहां तक कि इन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम है 'फर्जी' का। जो पिछले साल १० फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी।

'फर्जी' : निदेशक राज एंड डीके की 'फर्जी' वेब सीरीज को २०२३ की टॉप १० रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। यह वेब सीरीज कॉमेडी क्राइम पर आधारित है। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति केके मेनन और राशि खन्ना ने शानदार अभिनय किया है। सीरीज की कहानी एक कलाकार की है जिसका किरदार शाहिद कपूर (सन्नी) ने निभाया है। इसके पहले भाग की कहानी में सन्नी के माता-पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो जाता है। तब उसके नाना उसका पालन-पोषण करते हैं। सन्नी के नाना

(अमोल पालेकर) क्रांति नाम की पत्रिका चलाते हैं। उनकी बहुत पुरानी प्रेस है जो बहुत ही कर्जे में डूबी रहती है। सन्नी एक कलाकार बनता है लेकिन अपनी लाइफ सेट करने और इस प्रेस को कर्ज से उभारने के लिए वह गलत रास्ता चुन प्रेस में नकली नोट छापने का काम करने लगता है। उसके छापे नोटों में असली या नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। धीरे-धीरे वह इस धंधे में आगे बढ़ता है। बाद में उसकी मुलाकात नकली नोटों के सौदागर मंसूर (केके मेनन) से होती है। सीरीज में दूसरी तरफ माइकल (विजय सेतुपति) मैदान में होते हैं जो इस काले कारोबार को रोकने का प्रयास करते हैं और उनका साथ मेघा (राशि खन्ना) देती हैं। मेघा सन्नी के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं तो दूसरी तरफ माइकल की पर्सनल लाइफ में भी काफी दिक्कतें हैं। अब माइकल कैसे ये इस फर्जी गैंग का पर्दाफाश करेंगे इसके लिए आपको इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा।

'असुर-२' : अरशद वारसी, अनुप्रिया गोयनका और बरुन सोबती स्टारर 'असुर' वेबसीरीज का पहला भाग वर्ष २०२० में रिलीज हुआ था। तभी से इसके प्रशंसकों को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था जो २०२३ के जून महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुआ। इसे ओनी सेन ने डॉयरेक्ट किया है। असुर का यह दूसरा सीजन आपको देखने के लिए मजबूर कर देने वाला है। पहले सीजन के मुकाबले 'असुर-२' में और भी ज्यादा डरावने दृश्य दिखाए गए हैं। पहले सीजन में हमने देखा था शुभ कैसे बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर देता है। दूसरे भाग में शुभ को और भी खूंखार दिखाया गया है। वह हर हत्या को इस तरह से अंजाम देता है कि सबूत ढूढ़ने में जांच एजेंसियों के पसीने छूट जाते हैं।

इसकी कहानी में शुभ भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत विश्वास करता है। वह कहता है कि महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने का समय निकट आ गया है। असुर अब ठान लेता है कि वह पूरी दुनिया पर राज करेगा और

कलयुग को फैलाएगा। ऐसे में क्या सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट असुर को दबोचने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं इसके लिए 'असुर' वेबसीरीज के अन्य भाग देखने होंगे।

'स्कूप' : इसकी कहानी जिग्ना वोरा की किताब 'बिहाइंड द बार्स इन बायकुला: माई डेज इन प्रिजन' पर आधारित है। मुख्य भूमिका में करिश्मा तन्ना, जीशान अय्यूब, हरमन बावेजा हैं। सिंगल मदर और तलाकशुदा का किरदार पत्रकार जाग्रति पाठक ने निभाया है। वे मुंबई के एक छोटे-से अपार्टमेंट में अपनी मां, मामा और नाना-नानी के साथ रहती है। उनका १० साल का बेटा मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेजी अखबार ईस्टर्न एज में सीनियर क्राइम रिपोर्टर जागृति की अंडरवर्ल्ड की खबरों पर जबरदस्त पकड़ है। वो हमेशा एक्सक्लूसिव और फ्रंट पेज की खबरों के तलाश में रहती है। उसके पुलिस विभाग और अंडरवर्ल्ड, दोनों ही जगह अच्छे संपर्क सूत्र हैं। अपने इन सूत्रों को वह काफी सपोर्ट भी करती है। जागृति पाठक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का टेलीफोन पर एक साक्षात्कार करती है। जिसके

बाद जाग्रति की जिन्दगी में भूचाल तब आता है जब वो अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मना रही होती हैं और तभी दूसरे अंग्रेजी के अखबार न्यूज डे के क्राइम एंड इनवेस्टिगेटिव एडिटर जयदेब सेन (प्रोसेनजित चटर्जी) की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सेन के कत्ल की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन लेता है। लेकिन इस वारदात से कुछ दिन पहले डॉन का इंटरव्यू करने की वजह से जागृति पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगता है कि जागृति ने इंटरव्यू के बदले डॉन को सेन के घर का पता और बाइक का नंबर लीक किया था, शक के दायरे में पुलिस जाग्रति को गिरफ्तार करती है और मकोका एक्ट के चार्जेस लगाकर जेल भेज देती है। सीरीज में पत्रकार के संघर्ष को दिखाया गया है। जागृति जेल से कैसे रिहा होती है इसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी।

'गन्स एंड गुलाब' : वेबसीरीज 'गन्स एंड गुलाब' की सिर्फ एक अच्छी कहानी ही नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक किरदारों के कारण भी बार-बार इसे देखने का मन होगा। जिसमें मुख्य कलाकार अपनी भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निभाते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से काफी प्रभावित किया है। सीरीज की कहानी गुलाबगंज के उस शहर से शुरू होती है जहां बेपनाह अफीम का कारोबार होता है। इस काले कारोबार के दो सरगना दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी बनाना चाहते हैं लेकिन अर्जुन वर्मा (दुलकर सलमान) जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं वो इन दोनों के इस सपने को चकनाचूर कर देते हैं। इस सीरीज में ड्रग्स के कारोबार की कहानी के साथ दुश्मनी, प्यार और वर्दी के एक साथ तार जुड़े हुए हैं जिनमें पाना टीपू, छोटू गनचि, चार कट आत्माराम और अर्जुन वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी कहानी भी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है।

'द नाइट मैनेजर' : जॉन ले कार्रे नाम के उपन्यास और इसी नाम से बने ब्रिटिश टीवी सीरीज का हिंदी रीमेक है। साल १९९३ में यह नॉवेल आया था, इसी पर वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' आधारित है। इसकी कहानी एक पूर्व नेत्री लेफ्टिनेंट शान सेनगुटा (आदित्य रॉय कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है। शान सेनगुटा एक होटल में नाइट मैनेजर के रूप में काम करता है। दूसरा किरदार है शैली (अनिल कपूर) का जो भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी और विलेन भी है। शान सेनगुटा शैली के खतरनाक गिरोह में घुसपैठ करता है। शैली अवैध हथियारों का व्यापार करता है। लेकिन कहानी में अभी कई पेच हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अब तक दिख नहीं रहे थे। वो शान की मुसीबत बन रहे हैं। शान के लिए आगे का रास्ता पहले से कहीं अधिक जोखिम भरा है। क्या शान शैली के खतरनाक गिरोह को रोक पाता हैं यह देखने के लिए इसके दूसरे भाग का इंतजार करना होगा।

'द रेलवे मैन' : वर्ष १९८४ में भोपाल की एक ओद्योगिक फ़ैक्टरी में गैस रिसाव की दुर्घटना को 'द रेलवे मैन' वेबसीरीज में दर्शाया गया है। सीरीज के मुख्य बिंदु में रेलवे के उन ४ कर्मचारियों को रखा गया है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर गैस रिसाव वाली जगह में फंसे लोगों को बचाया। इसमें मुख्य किरदार में

बाबिल खान, केके मेनन, आर माधव, दिव्येंदु और सत्री हिंदुजा हैं। इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस सीरिज में यह दिखाया गया है कि त्रासदी इतनी भयानक थी कि इसके जद में आने से हजारों लोगों की जान चली गई थी लेकिन इसका असर पूरे भोपाल पर क्यों नहीं पड़ा था। बाकी लोगों की जान कैसे बचाई गई थी। वो कौन लोग थे जो इस भयंकर तबाही में हजारों लोगों की जान बचा रहे थे। यह वेब सीरीज जान बचाने वाले उन कर्मचारियों पर आधारित बनाई गई है। आप इसका पहला भाग देखेंगे तो आपके भीतर अपने आप ही इसके सभी एपिसोड देखने की उत्सुकता उभरने लगेगी।

'कोहरा' : रणदीप झा के डॉयरेक्शन में बनी इस सीरीज में बरुण सोबती, हरलीन सेठी, सविंदर विक्की और मनीष चौधरी जैसे सितारों ने अभिनय किया है। यह एक क्राइम थ्रिलर वेबसीरीज है, इसकी कहानी पंजाब पुलिस के दो अधिकारियों बलबीर सिंह और अमरपाल गरुंडी पर केंद्रित है। ये दोनों अधिकारी एक लापता एनआरआई दूल्हे की हत्या की जांच करते हैं जो शादी करने के लिए ग्रामीण इलाके में गया था। लेकिन शादी से पहले ही पुलिस को उसकी लाश बरामद होती है। सीरीज की कहानी जैसे- जैसे आगे बढ़ती है वैसे- वैसे शक के घेरे में अपने ही आने लगते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए इसके दूसरे पार्ट को देखना होगा।

गौरतलब है कि इनके अलावा २०२३ में करण अंशुमान और सुपम वर्मा के डायरेक्शन में बनी 'राणा नायडू', 'चमक', 'जुबली' भले ही टॉप-१० में आखिरी नंबर पर रही लेकिन इसकी कहानी आजादी के ठीक पहले वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री १९४० के दशक से शुरू होती है। इसमें आजादी से पहले और बाद इंडस्ट्री के काम करने के तरीके में क्या बदलाव आया वो दिखाया गया है। इन सभी का बोलबाला पूरे साल देखने को मिला।

इंदिरा ही भारत है का दौर

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

आपातकाल के दौरान उन विषयों जो सामान्य स्थितियों में राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार अपने अधीन कर सकती है। सिद्धार्थ शंकर ने प्रधानमंत्री की सारी दुविधाओं को समाप्त करने का काम कर डाला। जयप्रकाश के आह्वान पर 25 जून की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी समूह एकत्रित हो गया था। जयप्रकाश के साथ इस रैली को जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा के पूर्व सहयोगी मोरारजी देसाई और कांग्रेस के युवा नेता चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया था। जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का पाठ करते हुए इंदिरा गांधी से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा- 'सदियों की ठंडी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है'

छह मार्च को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को दबाव में लेने के लिए जेपी ने संसद घेराव कर दिया। इसी दिन शाम को एक विशाल जनसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी से सीधे त्याग पत्र देने की अपील की। बिहार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाने और राज्य विधानसभा को भंग करने की मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब 'इंदिरा हटाओ' में तब्दील हो चला था। जेपी समर्थक गांव-गांव, गली-गली इस नारे को बुलंद करने में जुट गए थे कि- 'जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है।' इसी दौरान वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता और इंदिरा के पूर्व सहयोगी मोरारजी देसाई १२ मार्च के दिन गुजरात में तत्काल विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग लेकर आमरण-अनशन पर जा बैठे थे। अंततः प्रधानमंत्री को न चाहते हुए भी गुजरात में चुनाव कराए जाने के लिए सहमत होना पड़ा था। मई १९७४ में हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहे। १२ जून, १९७५ को चुनाव नतीजों के साथ-साथ दो अन्य खबरें भी कांग्रेस, विशेषकर प्रधानमंत्री के लिए बड़ा आघात लेकर इसी दिन आई। इंदिरा गांधी के लिए इस दिन की पहली बुरी खबर उनके बेहद करीबी सहयोगी डीपी धर की मृत्यु का समाचार था। धर अपनी मृत्यु के समय सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। इंदिरा सरकार में मंत्री रह चुके धर उसी कथित 'कश्मीरी माफिया' का हिस्सा थे जिसकी कमान पीएन हक्सर के हाथों में रहा करती थी। १९७१ में पाकिस्तान के दो फाड़ कर बांग्लादेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री के लिए दूसरा खराब समाचार गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के समर्थकों द्वारा बनाए गए जनता पार्टी गठबंधन ने गुजरात की कुर्सी से कांग्रेस को बेदखल कर दिया था। अभी प्रधानमंत्री इन नतीजों के सदमे से उबरी भी नहीं थी कि इस दिन की सबसे बुरी और सीधे प्रधानमंत्री की सत्ता को चुनौती देने वाली खबर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से आई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने १९७१ में हुए संसदीय चुनावों में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा गांधी को रायबरेली संसदीय सीट से मिली जीत के खिलाफ फैसला देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इस चुनाव में संयुक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनारायण प्रत्याशी थे जिन्हें इंदिरा गांधी ने एक लाख से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया था। राजनारायण बनारस राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। आजादी के आंदोलन काल में वे १९३४ में समाजवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहते उन्हें १९४२ में गिरफ्तार कर लिया गया था। १९४५ तक वे जेल में कैद रहे थे। आजादी उपरांत राजनारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉ राममनोहर लोहिया के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे। १९७१ में इंदिरा गांधी के हाथों मिली पराजय को राजनारायण ने अदालत में यह कहते हुए चुनौती दे डाली थी कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग कर और सरकारी तंत्र की मदद से यह चुनाव जीता है। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इस याचिका पर अपना निर्णय सुनाते हुए इंदिरा गांधी को इस चुनाव दौरान अपने सरकारी निजी सचिव यशपाल कपूर की सहायता लेने और उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अपने प्रचार में शामिल करने का दोषी मानते हुए अयोग्य सांसद घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को बीस दिन का समय नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए देकर स्पष्ट कर दिया था कि इंदिरा अब प्रधानमंत्री पद में बने रहने के योग्य नहीं रह गई हैं। यह कांग्रेस और प्रधानमंत्री के लिए भारी सदमा था। निर्णय आने के साथ ही विपक्षी दलों ने एकसुर में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की बात उठानी शुरू कर दी थी। कांग्रेस में हालांकि इस मुद्दे पर कुछेक बड़े नेताओं की राय भी प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के पक्ष में थी लेकिन इंदिरा गांधी से सीधे ऐसा कह पाने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। संजय गांधी और उनके करीबी कांग्रेसियों ने अब पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रायोजित भीड़ इकट्ठी कर ऐसा माहौल बनाना शुरू करा जिससे लगे कि आमजन पूरी ताकत से इंदिरा के समर्थन में है और उन्हें ही देश का नेतृत्व करते देखना चाहता है। ऐसे प्रायोजित जन समूहों को स्वयं प्रधानमंत्री संबोधित करने लगी थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ इन सभाओं में पूरी बेशर्मी से कहते-'इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है।' २० जून १९७४ को दिल्ली के बोट हाउस क्लब मैदान में कांग्रेस ने एक विशाल जनसभा आयोजित कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि आमजन की निष्ठा आज भी प्रधानमंत्री संग बनी हुई है। देवकांत बरुआ ने इस जनसभा में चापलूसी की नई मिसाल पेश करते हुए कहा था-'इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरी नाम की जय, तेरे काम की जय।'

इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर २४ जून, १९७४ को न्यायमूर्ति वीआर कृष्णन अक्षयर ने अंतरिम आदेश देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक तो लगा दी लेकिन साथ ही यह भी निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस निर्णय को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की जीत बतौर प्रचारित किया तो वहीं विपक्षी दलों ने नैतिकता का प्रश्न उठा इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की अपील करी। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में दिन २५ जून को एक विशाल जनसभा आयोजित करने की घोषणा कर प्रधानमंत्री की चिंताएं बढ़ाने का काम कर दिया था। केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें जानकारी दी थी कि २५ की रैली में जेपी पुलिस और सेना से विद्रोह करने की अपील कर सकते हैं। मोरारजी देसाई ने भी संकेत दिए थे कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री के आवास को घेर उन्हें नजरबंद करने की योजना बना रहा है ताकि उन पर त्याग पत्र देने का दबाव बनाया जा सके। मोरारजी का मानना था कि इंदिरा इस नजरबंदी को झेल नहीं पाएंगी और त्यागपत्र देने के लिए विवश हो जाएंगी।' विपक्षी दलों की योजना से चिंतित प्रधानमंत्री ने २५ जून की सुबह अपने करीबी सलाहकार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर को तलब कर उनसे कहा-सिद्धार्थ हमें ऐसा नहीं होने देना होगा। मुझे भारत एक बच्चे-सा महसूस होता है और जैसा हम कई बार बच्चे को उठा हिलाते-डुलाते हैं, हमें भारत को भी हिलाना होगा। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के संयुक्त सचिव रहे बिशन टंडन का लेकिन मानना है कि प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय बाद ही हर कीमत पर सत्ता में बने रहने का मन बना लिया था। टंडन ने अपनी डायरी में १२ जून १९७५ के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए लिखा- '... यदि मैं प्रधानमंत्री को समझ सकता हूं तो वे और चाहे कुछ करें, कुर्सी कभी नहीं छोड़ेंगी। अपने को सत्ता में रखने के लिए वे गलत से गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाएंगी।'

सिद्धार्थ शंकर कानून के विशेषज्ञ थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ को आधार बना केंद्र सरकार देश में आपातकाल लागू कर सकती है। अनुच्छेद ३५२ में कहा गया है- 'यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान हैं जिसमें युद्ध या बड़ा आक्रमण या सशस्त्र विरोध के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय (आपातकाल) की घोषणा कर सकेगा।'

सिद्धार्थ शंकर ने बाहरी और आंतरिक संकट और खतरे की व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री को समझाया था कि १९७१ में बांग्लादेश गठन के समय घोषित आपातकाल बाहरी खतरे की आशंका चलते लगाया गया था, अब लेकिन खतरा देश के भीतर से है, इसलिए पूर्ण आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल लागू के पीछे केंद्र सरकार के हाथों असीमित अधिकार पाने की लालसा थी। संविधान के अनुच्छेद ३५३ में स्पष्ट कहा गया है कि आपातकाल के दौरान उन विषयों को जो सामान्य स्थितियों में राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार अपने अधीन कर सकती है। सिद्धार्थ शंकर ने प्रधानमंत्री की सारी दुविधाओं को समाप्त करने का काम कर डाला। जयप्रकाश के आह्वान पर २५ जून की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी समूह एकत्रित हो गया था। जयप्रकाश के साथ इस रैली को जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा के पूर्व सहयोगी मोरारजी देसाई और कांग्रेस के युवा नेता चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया था। जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का पाठ करते हुए इंदिरा गांधी से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा- 'सदियों की ठंडी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।'

जेपी ने सशस्त्र सुरक्षा बलों और पुलिस से सरकार के गलत आदेश न मानने की अपील तक इस रैली में कर डाली। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार चाहे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला सकती है। सरकारी कर्मचारियों से जेपी ने अपने कर्तव्य समझने की अपील करी और छात्रों से कहा कि वे शिक्षण सत्र का बहिष्कार कर जेल जाने की तैयारी करें। जेपी के ओजस्वी भाषण से ओत-प्रोत जनसमूह 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' के उद्घोष करने लगा था। इंदिरा गांधी दिल्ली के इस ऐतिहासिक मैदान का महत्व भली-भांति समझती थी। इसी मैदान में उनके पिता की मृत्यु पश्चात् एक विशाल शोकसभा आयोजित की गई थी। इसी मैदान में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की उपस्थिति में २७ जनवरी, १९६३ में स्वर कोकिला लता मंगेश्कर ने 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गीत गाया था। इस गीत को सुन चीन के हाथों मिली शर्मनाक पराजय से दुखी नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। नेहरू ने उनसे तब कहा था 'लता तुमने आज मुझे रूला दिया।' दो साल बाद १९६५ में इसी मैदान में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान-जय किसान' का नारा दिया था।'

क्रमशः

#GetYourSelfPlaced®

First Choice
For the Brightest of Minds

GALGOTIAS UNIVERSITY

offers edge to its students with **Top-Notch Placements, World Class Research Environment & Academic Excellence**

₹1.5 CRORE — OpenZeppelin — Record Breaking Package — **Suryansh Pratap**, B.Tech, CSE Student

₹44 LACS — Microsoft — **Guru Prakash Singh**, B.Tech, CSE Student

₹36 LACS — AUTODESK — **Tanishk Merothiya**, B.Tech, CSE Student

₹33 LACS — COMMVAULT — **Sakshi Gaur**, B.Tech, CSE Student

We are committed to **carry forward the vision** of our Visionary Honourable Prime Minister **Shri Narendra Modi Ji** of **making India a Vishvaguru** and the dream of our Dynamic Honourable Chief Minister of Uttar Pradesh **Shri Yogi AdityaNath Ji** for making the **State of UP a truly Global Knowledge Superpower.**

ADMISSION OPEN 2023-24 for CAREER-FOCUSED UG / PG / Ph.D. DEGREES in

- Computing Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Design
- Education
- Nursing
- Liberal Education
- Media and Communications Studies
- Law
- Agriculture
- Basic & Applied Science
- Finance & Commerce
- Pharmacy
- Medical & Allied Sciences
- Business
- Hospitality & Tourism
- Polytechnic

GALGOTIAS UNIVERSITY

(Under the Uttar Pradesh Private Universities Act No. 12 of 2019)

For the complete list of programmes offered and to apply online visit:
https://admissions.galgotiasuniversity.edu.in
www.galgotiasuniversity.edu.in

Plot No.2, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh, India.

Call @ 0120-4370000,
+91-97173 00418, +91-95828 47072
+91 99710 26125

Scan to know more

NAAC A+
Accreditation in First Cycle

This makes Galgotias University the **only private university in Uttar Pradesh** with the **highest NAAC score** and the **second highest amongst state private universities in the entire country** with a NAAC score of 3.37 out of 4 awarded by NAAC in the **First Cycle of NAAC Accreditation.**

Strategic Location
Galgotias University is located in the **midst of a Commercial/Industrial hub** & is located minutes away from upcoming **Noida International Airport.** The strategic location will help students gain access to opportunities as new investments to the tune of **35 Lakh Crore are planned, which shall create over 25 Lakh jobs in the Greater Noida region alone.**

Record Breaking Placements
Galgotias University has **broken all previous records** for placements with **800+ recruiters** giving Galgotias students multiple job offers: some of the recruiters are Infosys, Cognizant, Wipro and more.

Research Excellence & Awards
Galgotias University **Ranked Top 5 in India** as per the Indian Patent office Report for Academic Institutes and Universities, **filled 417 patents**

Galgotias University **Ranked in PLATINUM BAND (GRADE A++)** for **Institution of Academic Excellence** OBE Rankings 2022

Grade A++ PLATINUM BAND OBE RANKINGS 2022

Achieves excellence in quality education, & implementation of the latest teaching-learning methodologies, including the outcome-based education models.

The **Highest Benchmark** of **Academic Excellence, Placements & Research** for **Computer Science Engineering, Mechanical Engineering, Electronics & Communications, Engineering, B.Pharm** and **MBA**

NBA NATIONAL BOARD of ACCREDITATION ACCREDITED Tier 1

Students who graduate in the above mentioned NBA accredited programmes during the validity period of accreditation will be deemed to have graduated with an NBA accredited degree.

Galgotias University **Ranked #59 in India** (Pharmacy Category) by NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2022

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

#93 Management #147 Engineering

TOP RANKED BY INDIA TODAY

Galgotias University **Ranked#1** in India in Academic and Research Excellence as per India Today - **MDRA Best Universities Survey 2022.**

Galgotias University **School of Law Ranked #3** in India in Academic Excellence by **INDIA TODAY-MDRA Survey - July 2022**

Galgotias University has been listed in the Band **"Excellent" for "Innovation & Entrepreneurship Development".** Under University & Deemed to be University (Private / Self Financed) (Technical) in the AIIRA Ranking 2021.

ARIIA

Ranking#2 in Uttar Pradesh Ranking#46 in India

Thank You India! for **your continuous trust** in us, **Yet another milestone in our glorious success story.**

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Galgotias University is amongst **top 8 most preferred universities** in the country as per **CUET (Common University Entrance Test) applications.** Galgotias University **received record breaking 399,373 applications.**

School of Business Galgotias University **Ranked#2 in North India by TOP B-Schools Under Private Universities (Zonewise)**

OPEN

Galgotias University has been awarded **IAR-Placement Audit (5 stars) indicating HIGHEST performance capability in placing its students.**

Infomerics Analytics & Research

Galgotias University, School of Hospitality & Tourism, India is ranked among the **TOP 50 Best Hospitality and Hotel Management Schools** in the World for 2023 as per CEOWORLD, USA

CEOWORLD Magazine

Galgotias University awarded as the star performing institute in internships with an **All India 6th Rank in AICTE - EduSkills virtual internship programme 2022.**

EduSkills® Nation Building Through Skills

National Employability Award 2023 (AMCAT Test) for School of Computing Science and Engineering, Galgotias University on account of students performance being among the top 10% Nationally.

आरीएनीआई नी : UTTHIN/2009/29438, उत्तर प्रदेश : UP/GBDA58/2014-16